[2022] 17 एस. सी. आर. 1012

भारत और अन्य का संघ

वी.

भारत फोर्ज लिमिटेड। & एक और

(सिविल अपील। 2022 का सं. 5294)

16 अगस्त, 2022

[के. एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय, जे. जे.]

माल और सेवा अधिनियम, 2017-उत्पाद की खरीद के लिए निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एन. आई. टी.) प्रकाशित की गई थी-हालाँकि, न तो

उत्पाद पर लागू-बोलीदाताओं को यह भी निर्देश दिया गया था कि वे 'मेक इन इंडिया' नीति के अनुसार प्रस्तावित की जा रही सामग्री की स्थानीय सामग्री का प्रतिशत निर्दिष्ट करें और उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत स्थानीय सामग्री हो। सामग्री-रिट याचिकाकर्ता-प्रथम उत्तरदाता (एल 4) ने जी. एस. टी. दर 18 प्रतिशत के साथ उद्धृत कीमत, एल 1 से एल 3 ने जी. एस. टी. दर 5 प्रतिशत के साथ उद्धृत कीमत जिसके कारण रिट याचिकाकर्ता की कुल कीमत हो गई

रु. 8,29,540 / - जबकि एल 1 की कुल कीमत रु. 6,30,000 हो गई-कथित तौर पर, उद्धृत जी. एस. टी. दरों में भिन्नता ने इसे विकृत कर दिया है।

निविदा प्रक्रिया इसलिए, प्रथम उत्तरदाता ने रिट याचिका दायर की

इस बीच, उत्पाद के संबंध में एक बाद की निविदा रिट याचिकाकर्ता को दी गई थी-इसलिए, यह मुद्दा निर्धारण के लिए छोड़ दिया गया था कि क्या निविदा का निर्देश देते हुए आदेश पत्र जारी किया जा सकता है। यह स्पष्ट करने के लिए अधिकृत करते हुए कि खरीद उत्पाद पर प्रासंगिक एच. एस. एन. संहिता के तहत 18 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना चाहिए, एक समान बोली सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी नं. 2 - अपीलार्थी (एल 1) कि यदि निविदा में उत्पादों की खरीद के लिए प्रस्ताव के कुल मूल्य पर पहुंचने के लिए आधार मूल्य में जी. एस. टी. मूल्य जोड़ा जाना है और चयन प्रक्रिया में प्रतिच्छेदन श्रेणी निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है तो

अपीलार्थी को खरीद उत्पाद के लिए जी. एस. टी. प्राधिकरणों से सही एच. एस. एन. संहिता के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए और बोली दस्तावेज में इसका उल्लेख करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर एस. एल. पी. के लिए समान अवसर उपलब्ध हो।

खंड 2.7। 6 निविदा दस्तावेज में यह प्रावधान किया गया है कि सभी बोलीदाता /

दरें उद्धृत करते समय निविदाकारों को खंड 2.7 के अनुसार उनके द्वारा उद्धृत कीमतों में शामिल लागू शुल्कों और करों की दर स्पष्ट रूप से इंगित करनी चाहिए। 7 , निविदाकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जीएसटी हैं।

अनुपालन और उनकी उद्‌धृत कर दरें जी. एस. टी. कानून के अनुसार हैं-खंड

2.8. 6 , यह प्रावधान है कि खरीदार (अपीलकर्ता) गलत वर्गीकरण या कानून की गलत समझ के आधार पर आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किए गए करों और शुल्कों के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा-खंड 2.9। 2 , यह प्रावधान करता है कि बोली में कर देयता के बारे में जानकारी सामने नहीं आ रही है, बोली को समावेशी माना जाएगा-यह निविदाकर्ता के साथ सभी लागू करों और शुल्कों से परिचित होने का स्पष्ट कर्तव्य प्रदान करता है-खंड 2.9। 2 , जिससे यह स्पष्ट होता है कि एक निविदाकर्ता किसी भी कर घटक को शामिल किए बिना दर का हवाला दे सकता है-इसलिए, सफल निविदाकर्ता, विवरणी दाखिल करके और स्व-मूल्यांकन करके जी. एस. टी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

आपूर्तिकर्ता के साथ व्यवहार करने के लिए, इस मामले में अधिकार क्षेत्र होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सफल निविदाकर्ता देय कर का भुगतान करता है और यह सुनिश्चित किया जा सके कि, जी. एस. टी. दर को सही ढंग से उद्धृत नहीं करके, कोई कर चोरी न हो-अपीलकर्ता इंगित करेंगे कि निविदाकार अपनी बोलियों में, अपने निर्धारण अधिकारियों के विवरण का संकेत देंगे ताकि अपीलकर्ता दिए गए निर्देश का प्रभावी ढंग से पालन कर सकें।

उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया गया। मैंडमस का लेखन-मैंडमस का लेखन का दायरा-केवल तभी निहित होगा जब एक क़ानून एक कर्तव्य लागू करता है और इसमें विफलता होती है

कर्तव्य का निर्वहन-यदि प्राधिकरण, जिसके पास विवेकाधिकार था, इसका प्रयोग करने में विफल रहता है और किसी अन्य प्राधिकरण के आदेश के तहत कार्य करना पसंद करता है तो मैंडमस झूठ बोलता है-मैंडमस के लेखन या उसकी प्रकृति के निर्देश को इस देश में प्रचलित स्थितियों में बहुत व्यापक गुंजाइश दी गई थी और इसे जारी किया जाना है जहां कहीं भी सार्वजनिक कर्तव्य है और प्रदर्शन करने में विफलता है और अदालतें तकनीकी रूप से बाध्य नहीं होंगी और इसकी मुख्य चिंता अन्यायपूर्ण लोगों को न्याय तक पहुंचना चाहिए-अपीलकर्ताओं का कोई वैधानिक कर्तव्य नहीं है, जिसे विवादित निर्णय में किए गए तरीके से लागू किया जा सकता था।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

आयोजित किया गयाः 1 . यह स्पष्ट है कि मैंडमस का एक लेखन या एक निर्देश, मैंडमस के लेखन की प्रकृति में, में नहीं रोका जाना है

किसी भी तकनीकीता पर अनुच्छेद 226 की शक्तियों का प्रयोग। यह केवल अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन है। सार्वजनिक कर्तव्य होना चाहिए। जबकि शुल्क, वास्तव में, सामान्य रूप से एक क़ानून से उत्पन्न हो सकता है, शुल्क सामान्य चार्टर, सामान्य कानून, प्रथा या यहाँ तक कि अनुबंध द्वारा लगाया जा सकता है। तथ्य यह है कि एक कर्तव्य को उजागर करना पड़ सकता है और इसके आसपास की धुंध साफ हो सकती है [2022] 17 एस. सी. आर.

इसके प्रकट होने से पहले न्यायालय को किसी क़ानून में किसी सार्वजनिक कर्तव्य को समाप्त करने के अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं किया जा सकता है या अन्यथा, यदि सार में, यह मौजूद है। समान रूप से, यदि प्राधिकरण, जिसके पास विवेकाधिकार था, इसका प्रयोग करने में विफल रहता है और किसी अन्य प्राधिकरण के आदेश के तहत कार्य करना पसंद करता है, तो मैंडमस झूठ बोलेगा। इस देश में प्रचलित परिस्थितियों में एक रिट ऑफ मैंडमस या उसकी प्रकृति में एक निर्देश को बहुत व्यापक गुंजाइश दी गई थी और इसे जहां भी हो जारी किया जाना है।

एक सार्वजनिक कर्तव्य और प्रदर्शन करने में विफलता है और अदालतें तकनीकीताओं से बंधी नहीं होंगी और इसकी मुख्य चिंता अन्यायपूर्ण लोगों को न्याय दिलाना होना चाहिए। यह न्यायालय अन्य आवश्यकताओं को विस्तारित या कमजोर नहीं कर रहा है, जिसमें आम तौर पर मांग करने की आवश्यकता शामिल होगी, जब तक कि ऐसी परिस्थितियों में कोई मांग निरर्थक नहीं पाई जाती, जिन्हें उच्चतम न्यायालय के पहले के निर्णयों में पहले ही सूचीबद्ध किया जा चुका है। [पैरा 18] [1031-डी-एफ]

2. यह स्पष्ट है कि जी. एस. टी. व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए, खंडों को एक साथ पढ़ने से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होंगे। जी. एस. टी. व्यवस्था के तहत कर का भुगतान करने का दायित्व आपूर्तिकर्ता पर है। उसे पूछताछ करनी चाहिए और एक सूचित निर्णय लेना चाहिए कि वस्तुओं पर लागू प्रासंगिक एच. एस. एन. कोड और लागू कर की दर क्या होगी। इसके बाद, जब वह बोली लगाते हैं, तो बोली जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा का मुद्दा आम तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि ध्यान केंद्रित करना है। बोली लगाने वाले का लक्ष्य आम तौर पर उभरना होता है।

सफल हुए और अनुबंध हासिल किया। वह कितना लाभ अर्जित करेगा, यह एक मामला है, जो अनिवार्य रूप से उसके द्वारा तय किया जाने वाला मामला है। वह, जर्मन कारणों से, स्पेक्ट्रम के एक चरम छोर से लेकर स्थितियों के साथ एक अनुबंध हासिल करना चाह सकता है। , यहां तक कि जब नुकसान की संभावना उसे घूरती है, या थोड़ा सा उज्ज्वल परिणाम, अर्थात। , अनुबंध एक विराम-सम आधार पर काम कर रहा है

या एक और अधिक आशावादी संभावना की ओर बढ़ना, अर्थात्, उसे लाभ अर्जित करने वाले अनुबंध की, जिसे वह एक मामूली दर या एक दर पर लेने के लिए तैयार है जिसे वह अपनी समझ और परिस्थितियों में उचित मानता है। यह एक ऐसा मामला है जिसे बोली लगाने वाले की वाणिज्यिक उपयोगिता पर छोड़ दिया जाना चाहिए। अब, जब मामले को खरीदार के दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो खरीदार

सबसे कम बोली लगाने वाले को अनुबंध देकर वस्तुओं और सेवाओं या दोनों को खरीदना चाहता है। जब खरीदार राज्य होता है, तो यह उम्मीद करना उचित या उचित नहीं होगा कि वह सबसे कम बोली लगाने वाले की बोली को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि वह भारत संघ और अन्य की बोली को स्वीकार नहीं करने का निर्णय नहीं लेता।

भारत फोर्ज लिमिटेड। & एक और

निष्पक्ष और कानूनी कारणों से सबसे कम बोली लगाने वाला। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कानून नहीं है कि सरकार सबसे कम बोली स्वीकार करने के लिए बाध्य है। प्रासंगिक, वैध और उचित कारणों से सरकार के लिए यह हमेशा खुला रहता है कि वह सबसे कम बोली को भी स्वीकार न करे। [पैरा 38] [1042 जी-एच; 1043-ए-डी]

3. जब समग्र रूप से पढ़ा जाए तो रेलवे का उद्देश्य

बोर्ड यह है कि सही एच. एस. एन. संख्या और संबंधित जी. एस. टी. दर को उद्धृत करना बोलीदाता की जिम्मेदारी है। इस न्यायालय ने पहले ही प्रासंगिक खंडों के वास्तविक दायरे को उजागर कर दिया है

और परिणामों की एक विस्तृत श्रृंखला जो इसके वास्तविक निर्माण का अनुसरण करेगी। यह सच हो सकता है कि परिपत्र खरीदार को एच. एस. एन. संख्या इंगित करने की अनुमति देता है। खरीदार इसे इंगित कर सकता है। परिपत्र की अन्य शर्तें स्पष्ट रूप से इंगित करती प्रतीत होती हैं कि दर भले ही अपीलकर्ताओं द्वारा इंगित की गई हो, लेकिन यह दर निविदाकर्ताओं से उस दर को उद्धृत करने से अलग नहीं होगी जो उन पर निर्भर है। यह निविदाकारों द्वारा उद्धृत दर है जो इसे नियंत्रित करती है। यह वही है जिसका उपयोग रैंकिंग करने के लिए किया जाएगा। अन्य शब्द भी अपीलार्थियों के साथ एक सार्वजनिक कर्तव्य के खिलाफ हैं जैसा कि निर्देश दिया गया है। अपीलार्थी वाणिज्यिक क्षेत्र में एक खिलाड़ी के रूप में अपने सर्वोत्तम हित की रक्षा करना चाहता है।

खंड स्वयं स्पष्ट हैं। [पैरा 46] [1048-बी-सी, ई-एफ]

4. शब्द को पढ़ने का परिणाम दिनांकित पत्र में हो सकता है

अधिनियम के साथ-साथ राज्य जी. एस. टी. अधिनियम भी अग्रिम निर्णय के तंत्र का प्रावधान करता है। यदि खरीदार को एच. एस. एन. संहिता को शामिल करना है, तो उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिया गया है, उसे प्रभावी बनाने के लिए एक तंत्र होना चाहिए। , " उत्पाद के सही एच. एस. एन. कोड की प्रयोज्यता और उसके बाद एन. आई. टी. में उल्लेख से संबंधित मुद्दे को जी. एस. टी. प्राधिकरणों के साथ स्पष्ट करना। यह कोर्ट आगे यह समझने से चूक गया है कि कैसे एक स्तरीय खेल के नाम पर जब राज्य कोई अनुबंध देने का निर्णय लेता है, तो वह सही एच. एस. एन. संहिता और उस उत्पाद के लिए लागू कर का पता लगाने के लिए बाध्य होगा, जिसे वे प्राप्त करना चाहते हैं। यह विशेष रूप से तब होता है जब राज्य पर बोझ नहीं होता है

कर का भुगतान करने की देयता के साथ। इस न्यायालय के समक्ष मामले में कर का भुगतान करने का दायित्व पूरी तरह से आपूर्तिकर्ता पर है। पर्याप्त [2022] 17 एस. सी. आर. हैं।

5. यह आगे तर्क दिया जाता है कि परिपत्र अपीलार्थियों को बाध्य नहीं कर सकता है जो केवल उत्पाद के खरीदार हैं। वहाँ कोई नहीं है केंद्रीय अधिनियम के तहत बोर्ड या राज्य अधिनियम के तहत आयुक्त पर कोई स्पष्टीकरण जारी करने का कर्तव्य, जैसा कि विवादित निर्णय में निर्देश दिया गया है। इस तरह के निर्देश की मांग करने के लिए अपीलकर्ताओं पर कोई कर्तव्य नहीं है। इसलिए, अपीलकर्ताओं का यह तर्क देना सही है कि कोई वैधानिक कर्तव्य नहीं है, जिसे विवादित में किए गए तरीके से लागू किया जा सकता था।

निर्णय। ऐसा कोई सार्वजनिक कर्तव्य नहीं है जिसे लागू किया जा सके। [पैरा 49] [1050-सी-डी]

6. खंड 2.9 को छोड़कर। 2 यदि इसे समाप्त कर दिया जाता है, तो निविदाकर्ता कर दर को शामिल किए बिना एकमुश्त दर का हवाला देने के लिए स्वतंत्र होंगे। आगे और अधिक महत्वपूर्ण बाधा वह तंत्र या उसकी अनुपस्थिति है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के खरीदार (अपीलार्थी) को सही एच. एस. एन. कोड का पता लगाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। उच्च न्यायालय का निर्देश कर अधिकारियों के साथ स्पष्टीकरण करना है। इस न्यायालय ने देखा है कि स्पष्टीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। एकमात्र प्रावधान जो स्पष्ट रूप से वर्गीकरण से संबंधित है, वह है अग्रिम निर्णय का प्रावधान। इस न्यायालय ने अग्रिम निर्णय से संबंधित अध्याय में प्रक्रिया की प्रकृति पर ध्यान दिया है। इस न्यायालय को यह मान लेना होगा कि अपीलार्थी उक्त बोझिल प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर होंगे और इसके अंत में एच. एस. एन. संहिता की घोषणा करेंगे। अपीलकर्ता कई वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करते हैं। प्रत्येक बार जब अपीलकर्ता वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की खरीद करते हैं, यदि विवादित आदेश को बनाए रखना है, तो अपीलकर्ताओं को ऐसे मामले में लंबी कार्यवाही का सहारा लेना होगा जहां

अपीलार्थी पर कर का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं था। यह सब सही स्तर के खेल के मैदान के लिए रिट याचिकाकर्ता की खोज पर आधारित है। इसके अलावा, इस न्यायालय ने यह भी देखा है कि कैसे अपीलार्थी के हित, जो वह वाणिज्यिक दुनिया में एक कर्ता के रूप में अनुसरण करता है, लेकिन निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए उसे बाध्य करने वाले राज्य के आवरण को धारण करते हुए, न्यायिक समीक्षा में न्यायालय को किसी भी क़ानून, बोली दस्तावेज की शर्तों और किसी अन्य बाध्यकारी साधन द्वारा समर्थित कर्तव्य के लिए अधिदेशित करने का अधिकार नहीं देगा। इस न्यायालय ने पहले ही पाया है कि भारत और अन्य का संघ v.

भारत फोर्ज लिमिटेड। & एक और

बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर दिनांक 05.09.2017, प्रदान नहीं करता है

एच. एस. एन. कोड निर्दिष्ट करने के लिए अनिवार्य कर्तव्य के लिए। [पैरा 57] [1053 एफ-एच; 1054-ए-सी]

7. अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है कि जीएसटी, एक अप्रत्यक्ष कर, का भुगतान करने का दायित्व वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के पास है। अपीलार्थियों द्वारा स्वीकार किया गया अपवाद जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 9 (3) के तहत आने वाले मामलों में है जो रिवर्स चार्ज तंत्र प्रदान करता है। रिवर्स चार्ज के तहत

और जनहित में और निविदा शर्त के अनुसार सबसे कम बोली को भी अस्वीकार करने के लिए अपीलकर्ताओं के लिए हमेशा खुला रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि ऐसे मामले में कर की दर पर अलग से जोर दिया जाता है, तो अपीलकर्ताओं को स्वीकार्य दर पर, सकल बहिर्वाह की गणना की जा सकती है जिसमें सफल निविदाकार को भुगतान की जाने वाली राशि और राजस्व में प्रेषित की जाने वाली राशि शामिल है। इस संबंध में, इस न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा की गई निविदा शर्त से ध्यान दिया, जिसे इस न्यायालय ने पैराग्राफ 58 में निकाला है, जो विचार किया गया है वह यह है कि राशि होगी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत बिल से लागू जीएसटी दर पर कटौती की जाती है और संबंधित कर प्राधिकरण के पास जमा की जाती है। यदि निविदा की शर्तों के तहत, जो विचार किया जाता है वह यह है कि, ऐसे मामले में जहां कर घटक शामिल नहीं है या यह [2022] 17 एस. सी. आर. है।

कम दर पर शामिल, अपीलकर्ता रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत उसके द्वारा देय कर की वास्तविक दर में कटौती करने के हकदार हैं और ऐसे व्यक्ति की निविदा स्वीकार की जाती है

और खंड बिल से वास्तविक दर की कटौती का प्रावधान करता है, तब भी सार्वजनिक हित प्रभावित नहीं हो सकता है। यह विशेष रूप से कर सहित निविदाकार के लिए और भी अधिक कारण है। कर की सही दर को दर्शाने वाला घटक। यह एक बात है।

जहाँ प्रथम अपीलार्थी उचित निर्देश देने पर विचार कर सकता है। [पैरा 60] [1055-ई-एच; 1056-ए-ई]

8. कि वस्तुओं और सेवाओं का आपूर्तिकर्ता, अर्थात सफल निविदाकर्ता, वास्तव में, दाखिल करके जी. एस. टी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

वापसी और आत्म-मूल्यांकन करना। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि इस मामले में आपूर्तिकर्ता के साथ काम करने वाले अधिकारी का अधिकार क्षेत्र होगा। उक्त परिस्थितियों में, यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि सफल निविदाकर्ता देय कर का भुगतान करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जी. एस. टी. दर को सही ढंग से उद्धृत नहीं करके, कोई कर चोरी न हो, इस न्यायालय को लगता है कि यह निर्देश देना आवश्यक है कि सभी मामलों में, जहां अपीलकर्ताओं द्वारा एक अनुबंध दिया जाता है, एक प्रति।

दस्तावेज़, जिसके द्वारा अनुबंध प्रदान किया जाता है, जिसमें सभी सामग्री विवरण होते हैं, को तुरंत संबंधित क्षेत्राधिकार अधिकारी को भेज दिया जाएगा। तदनुसार आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी यह इंगित करेंगे कि निविदाकर्ता अपनी बोलियों में अपने निर्धारण अधिकारियों के विवरण का संकेत देंगे ताकि अपीलार्थी इस निर्देश का प्रभावी ढंग से पालन कर सकें। भारत संघ और रेलवे बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि सभी इकाइयों द्वारा इस निर्देश का पालन किया जाए। [पैरा 61] [1056-एफ-एच; 1057-ए]

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ज्ञान

प्रकाश, नई दिल्ली और एक अन्य वी। के. एस. जगन्नाथ

और दूसरा (1986) 2 एस. सी. सी. 679: [1986] 2 एस. सी. आर. 17; एंडी मुक्त सद्गुरु श्री मुक्ताजी वंदास स्वामी

सुवर्ण जयंती महोत्सव स्मारक न्यास और अन्य बनाम। वी. आर. रुदानी और अन्य (1989) 2 एससीसी 691 [1989] 2 एससीआर 687; मनसुखलाल विट्ठलदास चौहान बनाम। की स्थिति

गुजरात (1997) 7 एससीसी 622: [1997] 3 पूरक। एस. सी. आर. 705; रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और एक अन्य वी. भारत संघ और दूसरा (2017) 4 एस. सी. सी. 269:

[2017] 4 एस. सी. आर. 972; भारत संघ और अन्य बनाम। भारत फोर्ज लिमिटेड। & एक और

रिलायंस एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य वी। महाराष्ट्र राज्य

सड़क विकास निगम। लिमिटेड और अन्य (2007) 8 एससीसी

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त (2007) 13 एससीसी 601: [2007] 12 एस. सी. आर. 444; राष्ट्रीयालस्पत

निगम लिमिटेड बनाम। दीवान चंद राम सरन (2012) 5 एससीसी

306 [2012] 4 एस. सी. आर. 1-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1986] 2 एससीआर 17

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[1989] 2 एससीआर 687

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[1997] 3 पूरक। एससीआर 705

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

[2017] 4 एससीआर 972

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[2007] 9 एससीआर 853

पै

रा 21

संदर्भित किया गया है

[2007] 12 एससीआर 444

संदर्भित किया गया है

पै

रा 40

[2012] 4 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 41

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.5294

2022 तक।

उच्च न्यायालय के 18.12.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की रिट याचिका No.17620 में इलाहाबाद में न्यायिक कार्य।

एन. वेंकटरमन, एएसजी, जितिन सिंघल, मोहम्मद। अखिल, सुश्री सीमा

बेनगनी, सुघोश सुब्रमण्यम, अमरीश कुमार, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

अमर दवे, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, अंकुर सहगल, सुश्री

सायरी बसु मलिक, दिव्यांशु श्रीवास्तव, ई. सी. अग्रवाल, गिरधा गोविंद, सुश्री रेशमी रिया सिन्हा, सुश्री नीतू सिंह, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. विवादित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने निपटाया है

प्रथम प्रत्यर्थी (इसके बाद "रिट याचिकाकर्ता" के रूप में संदर्भित) द्वारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ दायर लिखित याचिकाः

2] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" इसलिए, हम प्रतिवादी को एक निर्देश जारी करना समीचीन समझते हैं। 2 अर्थात्, महाप्रबंधक, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी ने कहा कि यदि उत्पादों की खरीद के लिए प्रस्ताव के कुल मूल्य पर पहुंचने के लिए आधार मूल्य में जी. एस. टी. मूल्य जोड़ा जाना है।

एक निविदा में और चयन प्रक्रिया में इंटरस रैंकिंग निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे खरीद उत्पाद के सही एच. एस. एन. कोड की प्रयोज्यता के संबंध में जी. एस. टी. अधिकारियों के साथ मुद्दे, यदि कोई हो, को स्पष्ट करना होगा और एन. आई. टी. में इसका उल्लेख करना होगा।

(निविदा आमंत्रित करने की सूचना) निविदा/बोली दस्तावेज, ताकि सभी प्रतिभागियों से एक समान बोली सुनिश्चित की जा सके और सभी निविदाकार/प्रदाता उपलब्ध कराए जा सकें।

बोली लगाने वाले एक 'स्तरीय खेल का मैदान' बनाते हैं। "

3. अपीलार्थी उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त तर्क और अंतिम निर्देश, जैसा कि ऊपर कहा गया है, दोनों पर आपत्ति जताते हैं।

4. तीसरे अपीलार्थी (डीजल लोकोमोटिव वर्क अपने प्रबंधक, वाराणसी के माध्यम से) द्वारा 11.04.2019 पर एक वैश्विक निविदा प्रकाशित की गई थी। टर्बो व्हील इम्पेलर बैलेंस असेंबली 2 बीएलडब्ल्यू भाग संख्या 16080385 (इसके बाद 'उत्पाद' के रूप में संदर्भित) की खरीद के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की गईं। रिट याचिकाकर्ता निविदाकारों में से एक था। रिट याचिका में अन्य 6 से 8 उत्तरदाताओं के बीच भी ऐसा ही था। रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 6 को इस अपील में प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रिट याचिका में उत्तरदाता संख्या 7 और 8 को शुरू में उत्तरदाता 3 के रूप में रखा गया था।

और 4 विशेष अनुमति याचिका में लेकिन बाद में अपीलार्थियों के अनुरोध पर हटा दिया गया।

5. तीसरे अपीलार्थी द्वारा किए गए सारणीकरण के आधार पर, प्रत्यर्थी नं। 2 अपील में एल 1 के रूप में उभरा जबकि प्रतिवादी संख्या।

7 और रिट याचिका के लिए 8 क्रमशः एल 2 और एल 3 के रूप में उभरे। रिट याचिकाकर्ता केवल एल 4 के रूप में उभरा। इसके बाद प्रथम प्रत्यर्थी ने निम्नलिखित राहतों के लिए अनुरोध करते हुए रिट याचिका दायर कीः

मैंडमस की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश

आई.

प्रत्यर्थी संख्या 1, अर्थात निविदा प्राधिकरण को यह स्पष्ट करने के लिए आदेश देना और निर्देश देना कि खरीद उत्पाद पक्षों से समान बोली सुनिश्चित करने और सभी बोलीदाताओं/आपूर्तिकर्ताओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित

करने के लिए प्रासंगिक एच. एस. एन. संहिता, यानी 84148030 के तहत 18 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना चाहिए।

मैंडमस की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश

ii.

उत्तरदाताओं को आदेश देना और निर्देशित करना एन. आई. ओ. एन. ओ. एफ. इंडिया और अन्य बनाम का प्रभाव बना रहता है।

भारत फोर्ज लिमिटेड। & एक और [के. एम. जोसेफ, जे.]

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा विषय निविदा संख्या 10191001 का उद्घाटन और बाद में निविदा के विभिन्न पक्षों को एल 1-एल 6 से श्रेणी/रैंक प्रदान करना;

मैंडमस की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश

iii.

गलत जी. एस. टी. दर/एच. एस. एन. संहिताओं के आलोक में उत्तरदाताओं को आदेश देना और निर्देश देना, जैसा कि विषय निविदा के लिए बोलीदाताओं/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सही ढंग से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए था, इस माननीय न्यायालय को भी निविदा के उद्घाटन को अमान्य घोषित करने में खुशी हो सकती है, और निविदा प्राधिकरण को निर्देश देते हुए एक रिट ऑफ मैंडमस जारी किया जा सकता है, अर्थात,

उत्तरदाता संख्या 1, एच. एस. एन. कोड के साथ नई बोलियां आमंत्रित करने के लिए

विधिवत निर्दिष्ट;

मैंडमस की प्रकृति में लिखित आदेश या दिशा

iv.

उत्तरदाताओं को आदेश देना और निर्देश देना उन आपूर्तिकर्ताओं/बोलीदाताओं को अयोग्य ठहराता है जो सही एच. एस. एन. कोड/जी. एस. टी. दर विनिर्देश दर्ज नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार, 18 प्रतिशत की लागू दर के मुकाबले केवल 5 प्रतिशत का जी. एस. टी. का भुगतान कर रहे हैं।

मूल याचिकाकर्ता का मामला

6. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत इस पर देखी जा सकती है।

इस प्रकार हैः

निविदा आमंत्रित करने की सूचना (इसके बाद 'एन. आई. टी.' के रूप में संदर्भित) को पढ़ने से पता चलता है कि बोली लगाने वालों को सामग्री की स्थानीय सामग्री का प्रतिशत निर्दिष्ट करने का निर्देश दिया गया था।

यह 'मेक इन इंडिया' नीति के अनुसार प्रस्तावित है। उक्त नीति के संदर्भ में, उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें सामान्य रूप से कम से कम 50 प्रतिशत स्थानीय सामग्री हो।

खरीद वरीयता 20 प्रतिशत के मार्जिन तक सीमित है। रिट याचिका में छठा प्रतिवादी (इस अपील में दूसरा प्रतिवादी) (एल 1) एक व्यापारी है, जो वालबार कॉर्पोरेशन, मैक्सिको से उत्पाद का आयात करता है। यह तर्क दिया गया कि सभी वित्तीय बोलियों के सारणीबद्ध विवरण से पता चलता है कि एल 1 से एल 3 के रूप में उभरने वाली संस्थाओं ने आधार दर पर 5 प्रतिशत की दर से जी. एस. टी. के अपने भुगतान का हवाला दिया था। रिट याचिकाकर्ता ने इसकी जीएसटी दर को 18 प्रतिशत बताया था। रिट याचिकाकर्ता ने वास्तव में इसका आधार मूल्य सात लाख तीन हजार रुपये बताया था। एल 1 ने अपनी दर छह लाख रुपये बताई थी। एल 1 और रिट याचिकाकर्ता के आधार मूल्य में लगभग 17.1 प्रतिशत का अंतर है। लेकिन केवल [2022] 17 एस. सी. आर. के कारण।

तथ्य यह है कि एल 1 ने जी. एस. टी. की दर को पाँच प्रतिशत पर दिखाया है जबकि रिट याचिकाकर्ता ने जी. एस. टी. देयता को 18 प्रतिशत पर दिखाया है, रिट याचिकाकर्ता की कुल कीमत रु। 8,29,540 / जबकि एल 1 की कुल कीमत रु. 6,30,000/- हो गई। इसके कारण, 5 प्रतिशत पर जी. एस. टी. दर दिखाने में एल 1 के एकतरफा कार्य ने एल 1 और रिट याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत कुल मूल्य में लगभग 31.6 प्रतिशत का अंतर पैदा किया। रिट याचिकाकर्ता का यह और मामला है कि प्रत्येक उत्पाद और सेवा की जी. एस. टी. दरों को जी. एस. टी. परिषद (संक्षेप में, 'परिषद') द्वारा अध्याय 84 के अनुसार, नामकरण की सुसंगत प्रणाली (संक्षेप में, 'एच. एस. एन. संहिता') का उपयोग करके विधिवत स्पष्ट किया गया है। यह रिट याचिकाकर्ता का मामला है जिसे परिषद ने घोषित किया है

कोड कि जहाँ तक उत्पाद का संबंध है, दर को 18 प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। रिट याचिकाकर्ता का अगला मामला यह है कि न तो एन. आई. टी. और न ही बोली दस्तावेजों में उत्पाद पर लागू प्रासंगिक एच. एस. एन. कोड का उल्लेख है। इसने तोड़फोड़ की है

स्तरीय खेल के मैदान का संरक्षण। यही कारण है कि रिट याचिकाकर्ता ने ईमानदारी से सही जी. एस. टी. दर का खुलासा किया, एल 1 से एल 3 ने जीएसटी दर को बहुत कम दर पर दिखाया, अर्थात। , 5 प्रतिशत। इससे निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी आई है। हालांकि रिट याचिकाकर्ता

इससे पहले के अवसरों पर, एन. आई. टी. विषय में इस तरह की अनुचित प्रथाओं के पहले के उदाहरणों के बारे में अपीलकर्ताओं को अभ्यावेदन दिया गया था, कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए थे, इस प्रकार, रिट याचिकाकर्ता को एल 4 के पद पर हटा दिया गया था। इसमें 'मेक इन इंडिया' नीति को पूरी तरह से विफल करने और स्थानीय निर्माताओं को वैध वरीयता से वंचित करने की प्रवृत्ति भी थी, जो अन्यथा इसका हकदार था।

7. अपीलार्थी इस मुद्दे में शामिल हो गए और रिट याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जमानत का विरोध करते हुए अपनी दलीलें दायर कीं। प्रत्युत्तर और आगे हलफनामे दायर किए गए। उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में पाया कि

यह खंड 2.7 को संदर्भित करता है। 6 , 2.8 .6.2 , खंड 2.9 के अलावा। 2 निविदा दस्तावेज़, जिसका हम विस्तार से विज्ञापन करेंगे। यह पाया गया कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता एक स्थानीय निर्माता है जिसे स्वीकृत विक्रेताओं की सूची में शामिल किया गया है। यह भी पाया गया कि विषय निविदा को खोलना संभव नहीं हो सकता है क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के कारण प्रस्ताव की अवधि समाप्त हो गई थी। इसके अलावा, उत्पाद के संबंध में एक बाद की निविदा

रिट याचिकाकर्ता को दिया गया था। प्रार्थना संख्या।

2 और 3 एन. आई. ओ. एन. ओ. एन. ओ. एन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) की सच्ची भावना में एक समान अवसर प्रदान करके निष्पक्षता और पारदर्शिता से संबंधित विवाद। इसी तर्क पर राहत दी गई, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ए. एस. जी.) श्री एन. वेंकटरमन, रिट याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अमर दवे और दूसरे प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री गिरधर गोविंद को सुना।

9. श्री एन. वेंकटरमन, विद्वान ए. एस. जी., इंगित करेंगे कि उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है। यदि कोई वैधानिक कर्तव्य है तो एक रिट ऑफ मैंडमस जारी किया जा सकता है। अपीलार्थियों के लिए उन कार्यों को करने का कोई वैधानिक कर्तव्य नहीं है, जिन्हें विवादित निर्णय में निर्देशित किया गया है। वह आगे यह इंगित करेंगे कि बोली दस्तावेज में खंडों की उचित सराहना से निम्नलिखित का पता चलेगाः

एक ओर, निसन्देह बोलीदाताओं से कहा जाता है कि वे कर की दर को लागू होने के रूप में घोषित करें (खंड 2.7.6)। तथापि, खंड 2 का अवलोकन। 2 यह पता चलेगा कि यदि बोली में कर देयता के बारे में जानकारी नहीं आती है, तो बोली को समावेशी माना जाएगा और ऐसे कर के कारण कोई भी देयता संबंधित बोलीदाता द्वारा देय होगी। यह आगे बताया गया है कि खंड 2.8.2 में घोषणा की गई है कि अपीलकर्ता कानून के गलत वर्गीकरण या गलतफहमी पर बोलीदाता द्वारा भुगतान किए गए करों और शुल्कों के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ताओं का तर्क है कि बोली की शर्तों में यह माना गया है कि बोली लगाने वालों से कर की सही दर की बोली लगाने की अपेक्षा की जाती है। यदि बोली में कर की दर व्यक्त की गई थी, तो बोली का मूल्यांकन कर घटक को जोड़ने के बाद आधार मूल्य पर विचार करने पर किया जाएगा। यदि ऐसे निविदाकार की बोली का चयन किया जाता है, तो अपीलकर्ताओं को अनिवार्य रूप से बोलीदाता को कीमत चुकानी होगी और कर भी वहन करना होगा। दूसरी ओर, बोली लगाने वाले के मामले में, जो अलग से कर की दर का खुलासा नहीं करता है और केवल उद्धरण देता है

आधार मूल्य, तब, यदि वह चुना जाता है, तो वह केवल उद्धृत राशि के भुगतान का हकदार होगा। दूसरे शब्दों में, जी. एस. टी. का भुगतान करने का शुल्क, एक अप्रत्यक्ष कर होने के नाते, विक्रेता या आपूर्तिकर्ता पर है। उसे विवरणी दाखिल करनी होगी और स्व-निर्धारण के आधार पर कर का आकलन करना होगा और कर का भुगतान करना होगा। यह समान रूप से निविदाकर्ता की स्थिति होगी, जो दर को उद्धृत कर सकता है, जो सही दर नहीं हो सकती है लेकिन कम दर हो सकती है। दोनों ही मामलों में अंतिम बार उल्लेख किया गया है। , जहाँ निविदाकार कर घटक को अलग से शामिल नहीं करता है, या

इसमें शामिल है, लेकिन कम दर पर कर दर दिखाता है, कर तत्व को बोलीदाता द्वारा अवशोषित किया जाना होगा। यह अपीलार्थियों की नज़र नहीं है। अपीलार्थी केवल भारत के एन. आई. ओ. एन. और अन्य बनाम के चयन से संबंधित हैं।

भारत फोर्ज लिमिटेड। & एक और [के. एम. जोसेफ, जे.]

सबसे कम बोली लगाने वाले, जो निस्संदेह अन्यथा अनुपालन करते हैं।

मानदंडों के साथ। उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण बनाता है

काफी बाधाएं, अव्यवहारिक हैं और इससे अधिक समस्याएं पैदा होंगी। इसमें अपीलकर्ताओं को जी. एस. टी. अधिनियम के तहत एच. एस. एन. संहिता के बारे में स्पष्टीकरण लेने के लिए बाध्य किया जाना भी शामिल है। संबंधित कराधान क़ानून के तहत प्राधिकरण हैं, अर्थात। , जी. एस. टी. अधिनियम, जिन पर अधिनियम के तहत कर का आकलन और संग्रह करने का कर्तव्य है। विवादित निर्णय कर्तव्यों के निर्वहन का बोझ डालता है, जिन्हें अनिवार्य रूप से कराधान कानूनों के तहत कराधान अधिकारियों द्वारा वहन किया जाना है। जबकि अदालतों द्वारा अनुरोध करने वाले आवेदन पर विचार करने के लिए ईर्ष्यापूर्ण प्रगति की गई है

न्यायिक समीक्षा, यहां तक कि संविदात्मक मामलों में भी, विवादित निर्णय एक ऐसे मामले का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें उच्च न्यायालय ने गलती की है और अपनी सीमाओं को पार किया है। वह प्रस्तुत करेंगे कि इस न्यायालय के निर्णय उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय का समर्थन नहीं करते हैं। वास्तव में, विवादित निर्णय इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के विपरीत है।

वह तर्क देंगे कि एक अप्रत्यक्ष कर आम तौर पर पारित होने में सक्षम है। अप्रत्यक्ष कर के मामले में देयता सवाल विक्रेता (बोली लगाने वालों) पर है। यह एक देयता है, जिसे वह, निस्संदेह, एक अनुबंध के तहत खरीदार को दे सकता है, लेकिन इसके बजाय इसे अवशोषित कर सकता है। शर्तों के संदर्भ में, हालांकि, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा कर का भुगतान करने के लिए कोई दायित्व नहीं लिया जाता है।

सिवाय इसके जो शर्तों में दिए गए हैं। दायित्व बना रहता है

सफल निविदाकार की जिम्मेदारी।

10. श्री गिरधर गोविंद, दूसरे प्रत्यर्थी के विद्वान वकील, विद्वान ए. एस. जी. की दलीलों को बताते हैं और वे तर्क देंगे कि, इसलिए, विवादित निर्णय पारित करने का कोई अवसर नहीं है। इस न्यायालय में एक संक्षिप्त हलफनामा भी दायर किया गया है।11. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अमर दवे निम्नलिखित प्रस्तुतियों को संबोधित करेंगेः

वह विवादित फैसले का समर्थन करेंगे और उनका तर्क है कि उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया है, वह यह है कि राज्य द्वारा उदारता के पुरस्कार के मामले में एक समान अवसर होना चाहिए, जो अनुच्छेद 14 को लागू करने का एक अपरिहार्य परिणाम है। उन्होंने तर्क दिया कि महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब अपीलकर्ताओं ने इस सवाल का निर्धारण करने के लिए आधार मूल्य में कर देयता को जोड़ने पर विशेष रूप से विचार किया कि सफल निविदाकार कौन होगा, तो यह अनिवार्य है कि कर [2022] 17 एस. सी. आर. के बारे में स्पष्टता और निश्चितता होनी चाहिए।

दर और एच. एस. एन. कोड। इससे निविदाकारों के बीच व्यवहार की वास्तविक समानता पैदा होगी। मामले के तथ्य एक ऐसी स्थिति का उदाहरण देते हैं जहां रिट याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत कर की दर और एल 1 से एल 3 के बीच व्यापक असमानता को ध्यान में रखते हुए निविदा प्रक्रिया एक मजाक बन जाती है। 13 प्रतिशत के भारी अंतर ने रिट याचिकाकर्ता की निष्पक्ष बोली को पूरी तरह से बाधित और पटरी से उतार दिया है और इसके अलावा, 'मेक इन इंडिया' नीति में हासिल किए जाने वाले उदात्त उद्देश्य को पराजित कर दिया है। वह इस बात पर जोर देंगे कि उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के साथ कदम रखने से पहले जो चल रहा था, वह स्पष्ट रूप से एक अनुचित व्यापार प्रथा थी। रिट याचिकाकर्ता का रुख ईमानदारी के मौलिक मूल्य को बढ़ावा देता है। एक बोलीदाता, जो खंड 2.7 में निहित निषेधाज्ञा के बावजूद कर की सही दर का खुलासा नहीं करता है। 6 , एक अनुबंध के साथ चला जाएगा, पूरी तरह से अनुचित में लिप्त होने के बाद अभ्यास करें। विवादित निर्णय के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप यह पूरी तरह से अवांछनीय प्रथा समाप्त हो जाएगी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तव में, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के निर्देश को लागू करते हुए निविदा नोटिस जारी किए थे। यह कुछ ऐसा नहीं है, जिसे हासिल करने में असमर्थता हो। इसके बाद उन्होंने हमारा ध्यान इस परिस्थिति की ओर आकर्षित किया कि अपीलार्थी ने भी उत्पाद खरीदा है, जिसमें कर की दर 18 प्रतिशत दिखाई गई है, जैसा कि दिनांकित 21.03.2017 दस्तावेज़ से स्पष्ट है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय में, सही एच. एस. एन. संहिता दिखा रही है, इस प्रकार, सभी बोलीदाताओं के लिए कर की सही दर के समान प्रकटीकरण की सुविधा प्रदान करती है। इसके बाद उन्होंने वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (कर अनुसंधान इकाई) में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्र दिनांक 31.12.2018 पर भरोसा किया। इसमें वे निम्नलिखित बातों का उल्लेख करते हैं:

" 12.3 टर्बो चार्जर को विशेष रूप से अध्याय एच. एस. कोड 8414 80 30 के तहत वर्गीकृत किया गया है। रेलवे द्वारा इसके उपयोग की परवाह किए बिना इसे इस संहिता के तहत वर्गीकृत किया जाना जारी है। इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि टर्बो चार्जर को 8414 शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया गया है और इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

इसलिए, वह तर्क देंगे कि अपीलार्थियों के लिए विवादित निर्णय का पालन करने के लिए कानून या तथ्यों में कोई बाधा नहीं है। इसके बाद उन्होंने हमारा ध्यान सार्वजनिक खरीद ('मेक इन इंडिया' को वरीयता) आदेश, 2017 दिनांक 15.06.2017 की ओर आकर्षित किया। उन्होंने 'स्थानीय सामग्री' शब्द की परिभाषा पर जोर दिया:

" 'स्थानीय सामग्री' से भारत में जोड़ी गई मूल्य राशि का अर्थ है, जो जब तक नोडल मंत्रालय द्वारा अन्यथा निर्धारित नहीं किया जाता है, तब तक खरीदी गई वस्तु का कुल मूल्य (शुद्ध घरेलू अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर) घटाकर वस्तु में आयातित सामग्री का मूल्य (सभी सीमा शुल्कों सहित) कुल मूल्य के अनुपात के रूप में प्रतिशत में होगा।

12. रिट याचिकाकर्ता का विद्वान वकील भी उच्च न्यायालय की धारा 168 के संदर्भ में उच्च न्यायालय के निर्देश का समर्थन करना चाहेगा।

वस्तु एवं सेवा अधिनियम, 2017। यह इस ओर इशारा करने के अलावा है कि जी. एस. टी. कर की धारा 96 में अग्रिम कर निर्णय का प्रावधान है। इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अपीलार्थी आपत्ति कर सकें -

विवादित निर्देश, इस आधार पर कि 'स्पष्टीकरण मांगने' का कोई प्रावधान नहीं है।

13. प्रत्युत्तर प्रस्तुतिकरण में, विद्वान ए. एस. जी. प्रस्तुत करेगा

इस प्रकार हैः

वह तर्क देगा कि यह माल के आपूर्तिकर्ता के लिए प्रासंगिक मूल्यांकन अधिकारी है, न कि खरीदार के लिए प्रासंगिक मूल्यांकन अधिकारी, जिसके पास इस मामले में अधिकार होगा और यह अपीलार्थियों की परेशानियों को बढ़ाता है यदि वे इसका पालन करने के लिए मजबूर हैं।

विवादित दिशाओं के साथ। जहां तक दिनांक 1 के आदेश का संबंध है, वह 'स्थानीय सामग्री' शब्द की परिभाषा के आधार पर रिट याचिकाकर्ता के संस्करण का विरोध करेगा और बताएगा कि आदेश के निर्माता, अर्थात भारत सरकार ने, वास्तव में, शुद्ध घरेलू करों को बाहर करने पर विचार किया था। जहाँ तक जारी की गई बाद की निविदाओं का संबंध है, इसे विवादित निर्देशों का पालन करने की मांग करने वाले अपीलार्थियों की कार्रवाई के संदर्भ में उचित ठहराया जाना चाहिए। वह तर्क देगा कि

विवादित निर्देश पूरी तरह से अव्यवहारिक हैं और विवादों को समाप्त करने से दूर, यह केवल अंतहीन विवादों को जन्म देगा।

14. विद्वान ए. एस. जी. का तर्क होगा कि व्यापार मानक में कर आक्रमण के बारे में प्रकाशन पर कोई निर्भरता नहीं रखी जा सकती है।

रेलवे और शिकायत का उद्देश्य केवल यह हो सकता है कि यदि चोरी होती है, तो कर अधिकारियों को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए और कानून के अनुसार चोरी करने वालों का जोरदार तरीके से पीछा करना चाहिए।

विश्लेषण

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. विद्वान ए. एस. जी. ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी करने में गलती की, जो मैंडमस के रिट की प्रकृति में है। यह उनका है कि एक रिट ऑफ मैंडमस केवल तभी होगा जब एक क़ानून लागू होता है और कर्तव्य के निर्वहन में विफलता होती है। हम सोचेंगे कि यह वह पदार्थ है जो समाकलन है। नियंत्रक और लेखा परीक्षक के रूप में जल्द ही

भारत के राएल, ज्ञान प्रकाश, नई दिल्ली और एक अन्य वी। केएस.

एनाथन और अन्य 2, इसके तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ

टी को यह कहना थाः

" 18. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा आग्रह किया गया पहला तर्क यह था कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ एक आदेश जारी नहीं कर सकती थी। सार्वजनिक प्राधिकरण को इसका प्रयोग करने का निर्देश देने के लिए आदेश का लिखित आदेश

एक विशेष तरीके से विवेक। अंतर्निहित एक बुनियादी भ्रांति है

डिवीजन के आदेश के संबंध में यह प्रस्तुतिकरण बेंच और मैंडमस के रिट का उद्देश्य और दायरा। द.

उच्च न्यायालय ने आदेश का आदेश जारी नहीं किया था। का एक लेख

मैंडमस वह राहत थी जिसके लिए उत्तरदाताओं ने अपनी रिट याचिका में प्रार्थना की थी। डिवीजन बेंच ने जो किया वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अपीलार्थियों को निर्देश जारी करना था। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, प्रत्येक उच्च न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को जारी करने की शक्ति है,

उचित मामलों में, कोई भी सरकार, उन क्षेत्रों में, जिनके संबंध में वह अधिकार क्षेत्र, निर्देश, आदेश, या रिट का प्रयोग करती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, अनिवार्य, क्वो वारंट और प्रमाणपत्र या उनमें से कोई भी शामिल है, संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए।

संविधान या किसी अन्य उद्देश्य के लिए।

द्वारकानाथ बनाम। आई. टी. ओ. [एयर 1966 एस. सी. 81: (1965) 3 एस. सी. आर. 536,540] इस न्यायालय ने बताया कि अनुच्छेद 226 को एक व्यापक भाषा में डिज़ाइन किया गया है ताकि इसके द्वारा प्रदत्त शक्ति को केवल विशेषाधिकार रिट जारी करने की शक्ति तक सीमित न किया जा सके जैसा कि इसमें समझा गया है। इंग्लैंड में, इस तरह की व्यापक भाषा का उपयोग उच्च न्यायालयों को "जहां भी अन्याय पाया जाए" और "राहतों को ढालने" में सक्षम बनाने के लिए किया जा रहा है।

इसकी विशिष्ट और जटिल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए

देश "। होक्टिफ़ गैमन बनाम। उड़ीसा राज्य [(1975) 2 एस. सी. सी 649: 1975 एससीसी (एल एंड एस) 362: आकाशवाणी 1975 एससी 2226: (1976) 1 एस. सी. आर. 667,676] इस

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कार्यपालिका पर न्यायपालिका के नियंत्रण के संबंध में इंग्लैंड में न्यायालयों की शक्तियां इस देश में न्यायालयों की न्यूनतम सीमा को इंगित करती हैं।

5) 2 एस. सी. सी. 679 भारत का निऑन और अन्य बनाम भारत फोर्ज लिमिटेड। & एक और [के. एम. जोसेफ, जे.]

द्वारा पारित आदेशों की वैधता पर विचार करने के लिए तैयार रहें सरकार या उसके अधिकारी।

XXX

XXX

XXX

20. अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की शक्ति है -

मैंडमस की प्रकृति में मैंडमस या एक रिट जारी करें या

आदेश पारित करना और आवश्यक निर्देश देना जहां सरकार

या कोई सार्वजनिक प्राधिकरण प्रयोग करने में विफल रहा है या गलत तरीके से प्रयोग किया है

किसी कानून या नियम या नीति द्वारा उसे प्रदत्त विवेकाधिकार

सरकार का निर्णय या इस तरह के विवेक का प्रयोग किया है

विवेकपूर्ण या अप्रासंगिक विचारों पर या प्रासंगिक को अनदेखा करके

विचार और सामग्री या इस तरह से कि निराश करने के लिए ऐसा विवेकाधिकार या नीति प्रदान करने का उद्देश्य

जिसे लागू करने के लिए ऐसा विवेकाधिकार दिया गया है। कुल मिलाकर

ऐसे मामलों में और किसी अन्य उपयुक्त और उचित मामले में उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, एक रिट जारी करें

मैंडमस या मैंडमस की प्रकृति में एक रिट या आदेश पारित करें और प्रदर्शन को उचित रूप से मजबूर करने के लिए निर्देश दें और

सरकार को दिए गए विवेकाधिकार का वैध तरीका

या एक सार्वजनिक प्राधिकरण, और एक उचित मामले में, रोकने के लिए संबंधित पक्षों के साथ अन्याय, न्यायालय स्वयं कर सकता है

एक आदेश पारित करें या निर्देश दें जो सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को पारित या दिया जाना चाहिए था यदि यह ठीक से होता और

कानूनी रूप से अपने विवेक का प्रयोग किया।

16. तीन साल बाद, एंडी मुक्त में बताए गए निर्णय में

उरू श्री मुक्ताजी वंदास स्वामी सुवर्ण जयंती महोत्सव

ए. के. ट्रस्ट और अन्य बनाम वी. आर. रुदानी और अन्य 3, सौदा करते हुए

'प्राधिकरण' शब्द, जिसका उपयोग अनुच्छेद 226 में किया गया है और

कर्तव्य न लगाए जाने पर भी क्या मैंडमस झूठ बोलेगा

आर संविधि, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 20. इस संदर्भ में अनुच्छेद 226 में प्रयुक्त "प्राधिकरण" शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 12 में शब्द के विपरीत एक उदार अर्थ प्राप्त करें। अनुच्छेद 12

केवल मौलिक प्रवर्तन के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार। अनुच्छेद 226 उच्च को शक्ति प्रदान करता है।

अदालतें मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करेंगी साथ ही गैर-मौलिक अधिकार। शब्द "कोई भी व्यक्ति या

इसलिए अनुच्छेद 226 में उपयोग किए गए प्राधिकार को सीमित नहीं किया जाना चाहिए।

केवल राज्य के वैधानिक प्राधिकरणों और उपकरणों के लिए। वे. इसमें सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति या निकाय शामिल हो सकता है। द.

संबंधित शरीर का रूप बहुत अधिक प्रासंगिक नहीं है। क्या है?

शरीर पर लगाए गए कर्तव्य की प्रकृति प्रासंगिक है। कर्तव्य।

या प्रभावित पक्ष को अधिकार। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या मतलब है शुल्क लगाया जाता है, यदि कोई सकारात्मक दायित्व मौजूद है तो अनिवार्य रूप से नहीं

अस्वीकार किया जाए।

XXX

XXX

XXX

22. यहाँ हम फिर से इंगित कर सकते हैं कि परमादेश को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

कानून। इस कानून के विकास पर टिप्पणी करते हुए, प्रोफेसर डी स्मिथ कहते हैं: " आदेश द्वारा प्रवर्तनीय होना एक सार्वजनिक कर्तव्य है

यह आवश्यक नहीं है कि यह कानून द्वारा थोपा गया हो। यह हो सकता है

चार्टर द्वारा लगाए गए कर्तव्य के लिए पर्याप्त, सामान्य

कानून, प्रथा या यहाँ तक कि अनुबंध "। [प्रशासनिक न्यायिक समीक्षा

एक्शन, चौथा संस्करण। , पी। 540] हम इस विचार से सहमत हैं। न्यायिक नियंत्रण

के अधिकारों को प्रभावित करने वाले निकायों की तेजी से बढ़ती भूलभुलैया पर

लोगों को जलरोधक डिब्बे में नहीं डालना चाहिए। इसे होना चाहिए।

परिवर्तनशील परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीला बने रहें।

इसलिए, अपीलार्थियों के लिए आग्रह किए गए तर्क को अस्वीकार करें रिट याचिका की रखरखाव क्षमता "।

17. यह ध्यान देना आवश्यक है कि दो विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ क्या है

ई. मनसुखलाल इदास चौहान बनाम में निर्णय में मैंडमस के लेखन के बारे में। गुजरात राज्य। इसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

वीएसः

" 22. मैंडमस जो अनुच्छेद के तहत एक विवेकाधीन उपाय है

226 संविधान को जारी करने का अनुरोध किया जाता है, अन्य बातों के साथ-साथ

सार्वजनिक कर्तव्यों के निष्पादन को मजबूर करना जो प्रशासनिक हो सकते हैं, प्रकृति में मंत्री या वैधानिक। वैधानिक कर्तव्य या तो हो सकता है

निर्देशिका या अनिवार्य। सांविधिक कर्तव्य, यदि वे अभिप्रेत हैं चरित्र में अनिवार्य होना, शब्दों के उपयोग द्वारा इंगित किया जाता है

7) 7 एस. सी. सी. 622 भारत और अन्य संघ बनाम भारत फोर्ज लिमिटेड। & एक और [के. एम. जोसेफ, जे.]

" होगा "या" अवश्य "। लेकिन यह निर्णायक नहीं है क्योंकि "होगा" और "होना ही चाहिए" की व्याख्या कभी-कभी "हो सकता है" के रूप में की जाती है। कर्तव्य की प्रकृति का निर्धारक क्या है, चाहे वह अनिवार्य हो, अनिवार्य हो या निर्देशिका,

यह उस कानून की योजना है जिसमें "कर्तव्य" निर्धारित किया गया है। भले ही "कर्तव्य" स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से निर्धारित नहीं किया गया हो

23. इस कर्तव्य के पालन में, यदि वह प्राधिकरण जिसमें कानून के तहत विवेकाधिकार निहित है, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता है और दूसरे के निर्देशों और आदेशों के तहत आदेश पारित करता है। प्राधिकरण, न्यायालय मामले में हस्तक्षेप करेगा, आदेश को रद्द कर देगा

और उस प्राधिकरण को अपना स्वयं का प्रयोग करने के लिए एक आदेश जारी करें

विवेक "।

18. इसलिए, यह स्पष्ट है कि किसी भी तकनीकीता पर अनुच्छेद 226 की शक्तियों के प्रयोग में, मैंडमस के लेखन या किसी निर्देश को, मैंडमस के लेखन की प्रकृति में, नहीं रोका जाना चाहिए। यह केवल अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन है। सार्वजनिक कर्तव्य होना चाहिए। जबकि शुल्क, वास्तव में, सामान्य रूप से एक क़ानून से उत्पन्न हो सकता है, शुल्क सामान्य चार्टर, सामान्य कानून, प्रथा या यहाँ तक कि अनुबंध द्वारा लगाया जा सकता है। यह तथ्य कि किसी कर्तव्य को सुलझाना पड़ सकता है और उसके आकार को बदलने से पहले उसके चारों ओर की धुंध को साफ करना पड़ सकता है, न्यायालय को किसी क़ानून में सार्वजनिक कर्तव्य को समाप्त करने के अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं कर सकता है या अन्यथा, यदि सार में, यह मौजूद है। समान रूप से, यदि प्राधिकरण, जिसके पास विवेकाधिकार था, इसका प्रयोग करने में विफल रहता है और किसी अन्य प्राधिकरण के आदेश के तहत कार्य करना पसंद करता है, तो मैंडमस झूठ बोलेगा। इस देश में प्रचलित परिस्थितियों में एक रिट ऑफ मैंडमस या उसकी प्रकृति के निर्देश को बहुत व्यापक गुंजाइश दी गई थी और इसे जहां भी सार्वजनिक कर्तव्य है और प्रदर्शन करने में विफलता है, वहां जारी किया जाना है और अदालतें तकनीकी रूप से बाध्य नहीं होंगी और इसका मुख्य उद्देश्य अन्याय करने वालों को न्याय दिलाना होना चाहिए। हम अन्य आवश्यकताओं को नहीं बढ़ा रहे हैं या कम नहीं कर रहे हैं, जिसमें आम तौर पर मांग करने की आवश्यकता शामिल होगी, जब तक कि ऐसी परिस्थितियों में कोई मांग निरर्थक नहीं पाई जाती, जिन्हें इस न्यायालय के पहले के फैसलों में पहले ही सूचीबद्ध किया जा चुका है।

19. मैंडमस के एक रिट या में एक निर्देश के मामले में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में हवा को साफ करने के बाद

हम संविदात्मक मामलों में न्यायिक समीक्षा में न्यायालय की अधिकारिता के दायरे से संबंधित कानून के बाद आगे बढ़ सकते हैं। निस्संदेह, इस तर्क को स्वीकार करने में बहुत देर हो चुकी है कि राज्य की कार्रवाई में निष्पक्षता का जनादेश [2022] 17 एस. सी. आर. के दायरे तक नहीं फैला है।

राज्य द्वारा प्रवेश किया गया। हम अपना बोझ नहीं उठाएंगे।निर्णयों के कैटेना को कम करना, जिन्होंने इस संबंध में व्याख्या की है। यदि हम रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और एक अन्य मामले में न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हैं तो हम इसे पर्याप्त समझते हैं। भारत संघ और

एर 3. मामला कानून के एक विस्तृत सर्वेक्षण के बाद, यह न्यायालय, अन्य बातों के साथ-साथ,

इस प्रकार हैः

" 42. ग्लोबल एनर्जी लिमिटेड बनाम। अदानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड [वैश्विक]

एनर्जी लिमिटेड v. अदानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, (2005) 4 एस. सी. सी. 435], यह न्यायालय

इन सिद्धांतों को दोहराया किः (एस. सी. सी पी. 441, पैरा 10) " 10. ..... निविदा के निमंत्रण की शर्तें न्यायिक के लिए खुली नहीं हैं

क्योंकि वे अनुबंध के दायरे में हैं जब तक कि वे पूरी तरह से मनमाने न हों, भेदभावपूर्ण या द्वेष से प्रेरित "।

XXX

XXX

XXX

44. मिशिगन रबर (इंडिया) लिमिटेड बनाम। राज्य

में से

कर्नाटक [मिशिगन रबर (इंडिया) लिमिटेड बनाम। की स्थिति कर्नाटक, (2012) 8 एस. सी. सी. 216], न्यायालय, निर्देश देने के बाद

जगदीश मंडल बनाम। उड़ीसा राज्य [जगदीश मंडल बनाम। राज्य उड़ीसा, (2007) 14 एस. सी. सी. 517] और तेजास कंस्ट्रक्शंस एंड

इन्फ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड v. नगर परिषद, सेंधवा [तेजास]

कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड बनाम नगर परिषद,

सेंधवा (2012) 6 एस. सी. सी. 464] ने यह विचार व्यक्त किया कि (एस. सी. सी. में) पी। 229 , पैरा 23) अनुच्छेद 14 की मूल आवश्यकता में निष्पक्षता है

राज्य द्वारा कार्रवाई, और सार और सार में गैर-मनमानेपन

क्या निष्पक्ष खेल की दिल की धड़कन है और कार्य न्यायिक के लिए उत्तरदायी हैं केवल इस हद तक समीक्षा की जाए कि राज्य को एक के लिए वैध रूप से कार्य करना चाहिए

स्पष्ट कारण और किसी भी गलत उद्देश्य के लिए सनकी नहीं और यदि राज्य तर्कसंगतता की सीमा के भीतर कार्य करता है, तो यह

आगे यह देखा गया कि निविदा के मूल्य का निर्धारण पूरी तरह से है कार्यपालिका और न्यायालयों के दायरे में शायद ही कोई हो

इस प्रक्रिया में ऐसी किसी भी भूमिका को हटाने के अलावा कार्यपालिका की कार्रवाई जो मनमाना या अनुचित साबित होती है।

यदि सरकार कुछ स्वस्थ नियमों के अनुरूप कार्य करती है।

मानकों और मानदंडों जैसे कि आमंत्रित करके अनुबंध प्रदान करना

उन परिस्थितियों में अदालतों का हस्तक्षेप बहुत अधिक होता है।

7) 4 एस. सी. सी. 269 एन. आई. ओ. एन. ऑफ इंडिया एंड ऑथर्स बनाम भारत फोर्ज लिमिटेड। & एक और [के. एम. जोसेफ, जे.]

सीमित जब तक कि निविदा प्राधिकरण की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण नहीं पाई जाती है और इसकी वैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग और अधिक अक्षांश के मामले में राज्य अधिकारियों को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है

निविदा दस्तावेज की शर्तों को तैयार करना और एक

अनुबंध। न्यायालय ने जनहित और जहां कार्रवाई की जाती है वहां संयम के सिद्धांत को लागू करने में विवेक पर भी जोर दिया। निष्पक्ष और उचित और दुर्भावनापूर्ण नहीं है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि अदालतें सरकार द्वारा निर्धारित निविदा की शर्तों में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं क्योंकि उन्हें लगता है कि निविदा में कुछ अन्य शर्तें उचित, बुद्धिमानी या समझदारी वाली होतीं।

तार्किक "।

20. इस न्यायालय ने अनुच्छेद 46 को भी निम्नानुसार निर्धारित कियाः

" 46. जनगणना कम्र में। वी. आर. कृष्णमूर्ति [जनगणना]

कॉम. वी. आर. कृष्णमूर्ति, (2015) 2 एससीसी 796: (2015) 1 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 589], इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कई निर्णयों पर ध्यान देने के बाद कहा कि (एस. सी. सी. पी. 809, पैरा 33) यह जांच शुरू करना अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि क्या कोई विशेष सार्वजनिक नीति बुद्धिमान और स्वीकार्य है या क्या एक बेहतर नीति विकसित की जा सकती है और अदालतें केवल तभी हस्तक्षेप कर सकती हैं जब

बनाई गई नीति पूरी तरह से मज़बूत है या इसके द्वारा सूचित नहीं की गई है

कारण या पूरी तरह से मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 की मूल आवश्यकता का उल्लंघन करते हुए एकमुश्त पर आधारित है। यह आगे उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में, जैसा कि अक्सर कहा जाता है, राय हो सकती है लेकिन अदालत से किसी राय पर अपीलीय प्राधिकरण के रूप में बैठने की उम्मीद नहीं की जाती है।

21. हमें उस निर्णय को भी ध्यान में रखना चाहिए जो विवादित निर्णय में उच्च न्यायालय पर निर्भर है। उच्च न्यायालय ने रिलायंस एनर्जी लिमिटेड और उसके बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय से कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम। लिमिटेड और

“ 56 .

" 36. हम इस दीवानी अपील में योग्यता पाते हैं। द्वारा लागू मानक

न्यायिक समीक्षा में न्यायालयों को संवैधानिक सिद्धांतों द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए जो लोकतंत्र में सार्वजनिक शक्ति के उचित प्रयोग को नियंत्रित करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 "गैर भेदभाव" के सिद्धांत का प्रतीक है। लेकिन, यह एक स्वतंत्र प्रावधान नहीं है। इसे अन्य लेखों द्वारा प्रदत्त अधिकारों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 21 की तरह। उक्त अनुच्छेद 21 "जीवन के अधिकार" को संदर्भित करता है। इसमें "अवसर" शामिल है। हमारे विचार में, जैसा कि आई. आर. में नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ के नवीनतम निर्णय में कहा गया है।

कोएल्हो वी। टी. एन. राज्य [(2007) 2 एस. सी. सी. 1], अनुच्छेद 21/14 मौलिक अधिकारों पर अध्याय के केंद्र हैं। वे विभिन्न प्रकार के होते हैं।

जीवन के पहलू "। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का अर्थ लगाते हुए समान अवसर एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह वह सिद्धांत है जो वर्तमान मामले में आर. ई. एल./एच. डी. ई. सी. द्वारा लागू किया गया है। जब अनुच्छेद 19 (1) (जी) किसी कंपनी को व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो वह "समान अवसर" के उक्त सिद्धांत को लागू करने का हकदार है। हालाँकि, हम स्पष्ट कर सकते हैं कि यह सिद्धांत लोक हित के अधीन है। वैश्वीकरण की दुनिया में प्रतिस्पर्धा एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। "समान खेल का मैदान" का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो अनुच्छेद में सन्निहित है।

19 (1) ((छ) संविधान का। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहा गया सिद्धांत जगह प्रदान करता है जिसके भीतर समान रूप से रखे गए प्रतियोगी हैं बोली लगाने की अनुमति दी गई ताकि व्यापक सार्वजनिक हित को कम किया जा सके। वैश्वीकरण ", संक्षेप में, व्यापार का उदारीकरण है। आज भारत ने लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया है। 1992 के बाद शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने "वैश्वीकरण" की अवधारणा को जन्म दिया है। ऐसे निर्णय या कार्य जिनके परिणामस्वरूप असमान और भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है, अनुच्छेद 19 (1) (जी) में सन्निहित "समान अवसर" के सिद्धांत का उल्लंघन करेंगे। इसलिए यह कहने का समय आ गया है कि अनुच्छेद 14, जो "समानता" के सिद्धांत को संदर्भित करता है, को एक स्टैंड के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

इसे अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो जीवन के कई पहलुओं का प्रतीक है। एक और पहलू है जिसका कार्यान्वयन के मामले में उल्लेख करने की आवश्यकता है

"समान खेल का मैदान" का वनाच्छादित सिद्धांत। लॉर्ड गोल्डस्मिथ के अनुसार, "कानून के शासन" के प्रति प्रतिबद्धता संसदीय लोकतंत्र का दिल है। "कानून के शासन" के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक कानूनी निश्चितता है। अनुच्छेद 14 सरकार पर लागू होता है।

नीतियाँ और यदि सरकार की नीति या अधिनियम, संविदात्मक मामलों में भी, "तर्कसंगतता" की कसौटी को पूरा करने में विफल रहता है, तो ऐसा कार्य या निर्णय असंवैधानिक होगा।

XXX

XXX

XXX

38. जब निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, तो नियमों और शर्तों को कानूनी निश्चितता, मानदंडों और मानदंडों के साथ इंगित करना चाहिए। यह "कानूनी निश्चितता" कानून के शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

यदि भारत और अन्य का अस्पष्टता या संघ है। भारत फोर्ज लिमिटेड। & एक और [के. एम. जोसेफ, जे.]

उक्त मानदंडों में व्यक्तिपरकता के परिणामस्वरूप असमान और भेदभावपूर्ण व्यवहार। यह "समान खेल का मैदान" के सिद्धांत का उल्लंघन कर सकता है।

22. तथापि, उक्त मामले के संदर्भ पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है, जिसने न्यायालय को उपरोक्त टिप्पणियां करने के लिए राजी किया। इस मामले में एक अनुबंध देने के लिए एक वैश्विक निविदा जारी की गई थी, जिसे दो चरणों में चयन करके किया जाना था। निविदा दस्तावेज में प्रासंगिक खंड, अन्य बातों के साथ-साथ, कुछ वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति पर विचार करता है। हम निम्नलिखित चर्चा का उल्लेख कर सकते हैं, जो तथ्यात्मक संदर्भ देती हैः

" 50. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि "नकदी प्रवाह रिपोर्टिंग" के दो तरीके हैं, अर्थात् प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अंतिम कुल के मामले में दोनों समान परिणाम देते हैं। वे केवल आंकड़ों की प्रस्तुति में भिन्न होते हैं। वे केवल परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह में निहित आंकड़ों की प्रस्तुति में भिन्न होते हैं। एम. एस. आर. डी. सी. के सलाहकारों द्वारा के. पी. एम. जी. द्वारा लागू अप्रत्यक्ष पद्धति को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताया गया है।

आर. ई. एल./एच. डी. ई. सी. के चार्टर्ड एकाउंटेंट अपने दिनांकित 12-8-2005 पत्र में। उक्त विधि को "सुलह विधि" के रूप में जाना जाता है।

23. न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ, निस्संदेह, समान खेल के मैदान के सिद्धांत को हटाने में अनिवार्य रूप से शामिल तथ्यात्मक मैट्रिक्स से प्रेरणा लेती हैं, जो कानूनी निश्चितता की कमी के आधार पर बाधित पाई गई थी, जैसा कि उपलब्ध सामग्री द्वारा स्थापित किया गया था। पैराग्राफ-36 में टिप्पणियों के दौरान, इस न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 19 (1) (जी) किसी कंपनी को व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। हम इसे स्वीकार करेंगे, इस चेतावनी के अधीन कि अनुच्छेद 19 नागरिकों को एक अधिकार प्रदान करता है, जो प्राकृतिक हैं।

लोग। हालाँकि, हम यह मानते हैं कि अदालत के दिमाग में जो था, वह एक ऐसी स्थिति थी जहाँ कंपनी एक या एक से अधिक के साथ पक्षकार में हो।

शेयरधारक, जो भारत के नागरिक हैं। हालांकि, अदालतों द्वारा किए गए निर्विवाद और सांस लेने वाले अग्रिमों को ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद 14 से प्रेरणा लेते हुए, कानून की स्थिति के साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता है, जो समान रूप से माना जाना चाहिए और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 14 का दूसरा पहलू, अर्थात। , कि राज्य के सभी कार्य निष्पक्ष होने चाहिए, जो अनुबंधों के क्षेत्र में राज्य की कार्रवाई के खिलाफ हमले का प्रमुख आधार है। यह फिर से उन मामलों में आत्म-संयम के अधीन है, जिनके दायरे को मामले के विभिन्न पहलुओं के संबंध में निपटाया गया है, जो निविदा की शर्तों को चुनौती देने से संबंधित मामलों से शुरू होते हैं और अनुबंध के वास्तविक पुरस्कार में समाप्त होते हैं। जब तक कि इस तरह की कार्रवाई [2022] 17 एस. सी. आर.

कानून के अनुसार, अदालतें राज्य की स्वतंत्रता के सीमित क्षेत्र को भी ऐसे निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं करेंगी जो संबंधित मामलों में निष्पक्ष हों। संविदात्मक मामलों में।

24. इन टिप्पणियों के साथ, तथ्यों पर विचार करने का समय आ गया है।

संबंधित वर्ग

25. निविदा दस्तावेज़ में खंड, जिसमें शामिल थे

उच्च न्यायालय का ध्यान इस प्रकार है। खंड 2.7। 6 इस प्रकार पढ़ता हैः

" सभी बोलीदाताओं/निविदाकारों को दरों को स्पष्ट रूप से उद्धृत करना चाहिए। में शामिल लागू शुल्कों और करों की दर को इंगित करें

उनके द्वारा उद्धृत कीमतें। के कारण कर संरचना/दर में कोई बदलाव

26. ध्यान में रखने योग्य अगला प्रावधान खंड 2.8.2 हैः " खरीदार करों के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और

कानून की गलतफहमी के तहत आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किए गए शुल्क या

27. अंत में, हमें खंड 2.9 का विज्ञापन करना चाहिए। 2 : " निविदाकारों को सभी लागू होने वाले नियमों के बारे में खुद को परिचित होना चाहिए।

कर और शुल्क, और यदि वे स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं हैं

उनके प्रस्ताव को समावेशी माना जाएगा। कोई भी दायित्व

ऐसे खाते में कंपनी के खाते में भुगतान किया जाएगा।

28. हम निम्नलिखित खंडों पर भी ध्यान दे सकते हैं, जिन्हें इसमें रखा गया है -

एक संशोधन के आधार पर स्थान, जिसे वैश्विक निविदा बोली दस्तावेज़ में संशोधन संख्या 1 के रूप में वर्णित किया गया है। खंड 2.7। 6 इस प्रकार पढ़ता हैः

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर

2.7

(वैट)/सीएसटीः

(वैट)

/सीएसटी/जी. एस. टी.:

(जोड़ा गया) देय

निविदाओं के लिए

नील

2.7. 6

लागू होने वाली दर

को इंगित करें

शुल्क और करों में शामिल

उनके द्वारा उद्धृत

कीमतें। कोई भी।

जी. एस. टी. लागू

होने के कारण,

के तहत निपटा जाएगा

सांविधिक परिवर्तन

खंड।

29. खंड 2.7। 7 इस प्रकार पढ़ता हैः

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर

2.7

(वैट)/सीएसटीः

(वैट)

/सीएसटी/जी. एस. टी.:

(जोड़ा गया)

निविदाओं के लिए

2.7. 7

नील

जी. एस. टी. लागू

होने के बाद उद्घाटनः

सभी

बोलीदाता/निविदाकार
यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जीएसटी हैं

अनुपालन और

उनका उद्धृत कर

संरचना/दरें जी.

एस. टी. के अनुसार हैं
कानून.

30. इस मोड़ पर, हम यह भी देख सकते हैं कि एक संदर्भ है

वैधानिक परिवर्तन खंड के लिए। हम विचाराधीन बोली से संबंधित निविदा दस्तावेजों से एक वैधानिक परिवर्तन खंड का पता लगाने में असमर्थ थे। हालाँकि, हम वैधानिक परिवर्तन खंड का उल्लेख करेंगे, जो इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर जवाबी हलफनामे (एक अन्य निविदा के संबंध में) के पृष्ठ 56 पर पाया जाता है जो मानक खंड प्रतीत होता हैः

" करों और शुल्कों में सांविधिक परिवर्तन, या नए सिरे से लागू करना

के संबंध में राज्य/केंद्र सरकारों द्वारा कर और शुल्क

अनुबंध में निर्धारित वस्तुएं (और उसका कच्चा माल नहीं), अनुबंध में निर्धारित मूल वितरण अवधि के भीतर, या अंतिम

बिना शर्त विस्तारित वितरण अवधि रेलवे के लिए होगी।

खाता। केवल ऐसा परिवर्तन ही स्वीकार्य होगा जो होता है। बोली जमा करने के बाद। वैधानिक आधार पर कोई दावा नहीं

मौजूदा कर/शुल्क के संबंध में भिन्नता तब तक स्वीकार की जाएगी जब तक कि

निविदाकर्ता ने अपने प्रस्ताव में कर/शुल्क की दर स्पष्ट रूप से इंगित की है।

उसकी उद्धृत दर में माना जाता है। वैधानिक आधार पर कोई दावा नहीं

गलत वर्गीकरण के कारण भिन्नता स्वीकार्य होगी आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार "।

31. उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में सही कहा है

अनुबंधों से संबंधित मामलों में राज्य की कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा के दायरे में न्यायालयों की अधिकारिता की रूपरेखा पर ध्यान दिया। यह सही पाया गया है कि न्यायालय अनुबंध की शर्तों के विवरण की जांच नहीं कर सकता है। फैसला स्पष्ट रूप से पूरी तरह से इस पर आधारित है रिलायंस एनर्जी लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां। यह अनुच्छेद 36 और 38 पर भरोसा रखते हुए रिट याचिका में अपने हस्तक्षेप का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ा है, जिनका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। इसके बाद यह सवाल खड़ा होता है कि क्या एच. एस. एन. संहिता का वर्गीकरण निविदा प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और इसका जवाब [2022] 17 एस. सी. आर. द्वारा दिया जाता है।

यह मानते हुए कि यह अभिन्न है और फिर यह पता लगाने के तरीके में अपना हस्तक्षेप पाता है कि प्रत्येक बोलीदाता को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा या समान अवसर से वंचित कर दिया जाएगा क्योंकि कोई व्यक्ति जी. एस. टी. की कम दर का हवाला देकर निविदा प्राप्त कर सकता है, जिससे कुल कीमत में पर्याप्त अंतर पैदा हो सकता है। निस्संदेह, चयन कर (जी. एस. टी.) के साथ आधार मूल्य को एकत्रित करने पर आधारित है। यदि स्पष्टता की कमी है, तो प्रत्येक बोलीदाता कर के मूल्य को कम करके निविदा पर एक शॉट लेने की स्थिति में होगा।

32. हमारा मानना है कि मामले के तथ्यों में उच्च न्यायालय ने गलती की है। न्यायालय एक मामले पर विचार कर रहा था जिसके अनुसार

राजस्व का, दिनांक 30.04.2018, परिपत्र No.30/4/2018GST है, जिसमें यह कहा गया था कि परिषद ने कुछ निर्णय लिए थे। इसका भी उल्लेख किया गया है सीमा शुल्क चालान दिनांक 21.03.2017, उत्पाद के आयात को दर्शाता है जिसमें जी. एस. टी. दर 18 प्रतिशत दिखाई गई है। रिट याचिकाकर्ता द्वारा रेल मंत्रालय के लोक शिकायत के कार्यकारी निदेशक को लिखे गए 04.06.2018 दिनांकित एक पत्र का भी संदर्भ है। इसलिए, रिट याचिकाकर्ता को अधिसूचना की शर्तों के प्रभाव से होने वाले परिणामों के बारे में जागरूक माना जाना चाहिए। हालाँकि, हम देखते हैं कि रिट याचिकाकर्ता ने आगे बढ़कर एन. आई. टी. दिनांक के अनुसार अपनी बोली लगाई।

11.04.2017 . रिट याचिकाकर्ता का मामला, स्वीकार्य रूप से है कि अपीलकर्ताओं ने निविदा खोली और एक सारणीबद्ध बयान दिया और पाया कि रिट याचिकाकर्ता एल 4 पर रैंक करेगा।

33. इससे पहले कि हम खंडों के दायरे को शुरू करें, हमने निर्धारित किया है, कर की प्रकृति और घटना का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है

जीएसटी अधिनियम के तहत। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम, 2017 राजपत्र में 12.04.2017 पर प्रकाशित किया गया था (जिसे इसके बाद 'केंद्रीय अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है)। इसमें अप्रत्यक्ष कर का प्रावधान है। यह, जैसा कि अधिनियम के नाम से ही पता चलता है, वस्तुओं और सेवाओं या दोनों के लेनदेन पर लगाया जाता है। धारा 2 (11) 'राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम' को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है भारत और अन्य का संघ।

' संबंधित राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 '। काफी हद तक समान प्रावधानों को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य अधिनियम पारित किए गए हैं।

34. केंद्रीय अधिनियम की धारा 9 में वस्तुओं की सभी अंतर-राज्य आपूर्ति पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नामक कर लगाने का प्रावधान है।

और सेवाओं को छोड़कर, जैसा कि उसमें प्रदान किया गया है। धारा 9 (3) में प्रावधान है कि सरकार, परिषद की सिफारिश पर, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की श्रेणियों को अधिसूचित कर सकती है, जहां कर लगाया जाना है, मूल्यांकन किया जाना है और रिवर्स चार्ज के आधार पर वसूल किया जाना है। धारा 22 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक आपूर्तिकर्ता विशेष श्रेणी वाले राज्यों के अलावा उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के लिए कर्तव्यबद्ध है, जहां से वह माल और सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति करता है, जो कारोबार के संबंध में एक निश्चित सीमा के अधीन है। इसे फिर से धारा 24 के प्रावधानों के अधीन बनाया गया है, जो अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करता है। धारा 37 के तहत, वापसी प्रस्तुत करने का कर्तव्य है। केंद्रीय अधिनियम की धारा 59 में प्रावधान है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति करों का स्वयं आकलन करेगा। अधिनियम के तहत देय और धारा 39 में निर्दिष्ट प्रत्येक कर अवधि के लिए एक कर विवरणी प्रस्तुत करें। धारा 60 अनंतिम मूल्यांकन का प्रावधान करती है। मूल्यांकन से संबंधित विस्तृत प्रावधान हैं। अध्याय 17 में अग्रिम निर्णयों का प्रावधान है। धारा 97 के तहत यह प्रावधान है कि एक आवेदक, जिसे 'अधिनियम के तहत पंजीकृत या पंजीकरण प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति' के रूप में परिभाषित किया गया है, धारा में उल्लिखित प्रश्नों के संबंध में उचित रूप से आवेदन कर सकता है।

97 (2) . प्रश्नों में किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों के वर्गीकरण के बारे में एक प्रश्न शामिल है। एक विस्तृत प्रक्रिया है, जिसमें एक मूल प्राधिकरण, एक अपीलीय प्राधिकरण और अग्रिम निर्णय के लिए एक राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण शामिल है। धारा 102 अग्रिम निर्णय में सुधार का प्रावधान करती है। धारा 103 में प्रावधान है कि अग्रिम निर्णय एक आवेदक और संबंधित अधिकारी या क्षेत्राधिकार पर बाध्यकारी होगा।

आवेदक के संबंध में अधिकारी। वित्त अधिनियम, 2019 द्वारा अंतःस्थापित धारा 103 (1ए) अग्रिम निर्णय के दायरे को बढ़ाती है, जैसा कि उसमें प्रदान किया गया है। एक अग्रिम निर्णय कुछ परिस्थितियों में अमान्य हो सकता है, जिसमें धोखाधड़ी या सामग्री का दमन या तथ्यों की गलत प्रस्तुति शामिल है (धारा 104 देखें)। धारा 105 खोज और निरीक्षण के संबंध में सी. पी. सी. के तहत सिविल कोर्ट की शक्तियों का प्रावधान करती है,

किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति और शपथ लेने और जारी करने पर उसकी जाँच करना

लेखा पुस्तकों और अन्य अभिलेखों का कमीशन और उत्पादन। हम धारा 168 पर भी ध्यान दे सकते हैं, जिस पर रिट याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किया गया है। वह इस प्रकार हैः

2] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 168. निर्देश या निर्देश जारी करने की शक्ति। — (1) बोर्ड, यदि वह इसे आवश्यक या समीचीन समझता है, तो इसके लिए कर सकता है

इस अधिनियम के कार्यान्वयन में एकरूपता का उद्देश्य, इस प्रकार जारी करना

केंद्रीय कर अधिकारियों को आदेश, निर्देश या निर्देश

ऐसे सभी अधिकारी और इस अधिनियम के कार्यान्वयन में नियोजित अन्य सभी व्यक्ति ऐसे आदेशों, निर्देशों या निर्देशों का पालन करेंगे और उनका पालन करेंगे।

(2) आयुक्त ने धारा 2 के खंड (91), धारा 5 की उप-धारा (3), धारा 25 की उप-धारा (9) के खंड (बी), धारा 35 की उप-धारा (3) और (4), धारा 37 की उप-धारा (1), धारा 38 की उप-धारा (2), धारा 39 की उप-धारा (6), धारा 66 की उप-धारा (5), धारा 143 की उप-धारा (1), धारा 151 की उप-धारा (1), धारा 3 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट किया है।

158 और धारा 167 का अर्थ होगा एक आयुक्त या संयुक्त सचिव।

बोर्ड में तैनात और ऐसे आयुक्त या संयुक्त सचिव

बोर्ड की मंजूरी "।

इस मोड़ पर, हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का माल और

सेवा अधिनियम, 2017 अनिवार्य रूप से केंद्रीय अधिनियम को प्रतिबिंबित करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य अधिनियम (उत्तर प्रदेश) की धारा 168 का संबंधित प्रावधान इस प्रकार है:

" धारा 168। निर्देश या निर्देश जारी करने की शक्ति

आयुक्त, यदि वह इसे आवश्यक या समीचीन समझता है,

अधिकारी, जो वह उचित समझे, और उसके बाद ऐसे सभी अधिकारी और इस अधिनियम के कार्यान्वयन में नियोजित अन्य सभी व्यक्ति ऐसे आदेशों, निर्देशों या निर्देशों का पालन करें और उनका पालन करें।

35. यह स्पष्ट है कि जीएसटी, चाहे वह केंद्रीय अधिनियम के तहत हो और

राज्य वस्तु एवं सेवा अधिनियम, आपूर्ति पर लगाए गए अप्रत्यक्ष कर हैं।

वस्तुओं और सेवाओं या दोनों का। विपरीत कर तंत्र के तहत आने वाले मामले को छोड़कर, यह माल और सेवाओं का आपूर्तिकर्ता है, जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी रहेगा। आपूर्तिकर्ता रिटर्न दाखिल करने के लिए बाध्य है जिसमें मासिक रिटर्न और वार्षिक रिटर्न शामिल हैं। उसे प्रावधानों के अनुसार कर का

स्व-आकलन और भुगतान करना है। धारा 60 में कर के अस्थायी निर्धारण का प्रावधान है। देय कर का आकलन और वसूली करना कराधान प्राधिकरण का कर्तव्य बन जाता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत और अन्य संघ v. भारत फोर्ज लिमिटेड। & एक और [के. एम. जोसेफ, जे.]

इसी तरह की निविदा अधिसूचना के काम करने की स्वीकृत समझ के बावजूद कुछ बोलीदाताओं ने 5 प्रतिशत पर जी. एस. टी. दर दिखाई और यहां तक कि इसके बारे में लिखा। रिट याचिकाकर्ता ने इसमें भाग लेने का फैसला किया और 18 प्रतिशत कर दर दिखाते हुए अपनी बोली दायर की। इकाइयाँ, जिन्हें एल 1 के रूप में रैंक करने के हकदार के रूप में दिखाया गया था एल 3 के लिए, उत्पाद पर कर जी. एस. टी. देयता को 5 प्रतिशत दिखाया है। इसके बाद राहत की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की गई, जिसे हम पहले ही देख चुके हैं।

37. अपीलार्थी वस्तुओं और सेवाओं के खरीदार के स्थान पर खड़े होते हैं। अपीलार्थियों द्वारा जारी वैश्विक निविदा द्वारा, अपीलार्थी

माल के इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं से ई-निविदाएं मंगाई गईं। निविदा की शर्तों के बारे में निविदाकारों को अच्छी तरह से पता था। खंड 2.7 के तहत। 6 , निसन्देह, बोलीदाताओं और निविदाकारों को दरों का हवाला देते हुए, उनके द्वारा उद्धृत मूल्य में शामिल लागू शुल्कों और करों की दर को स्पष्ट रूप से इंगित करना था। आइए हम एक पल के लिए रुकें और इसके सही अर्थ का विश्लेषण करें। उक्त खंड के तहत, बोलीदाताओं को लागू शुल्कों और करों की दर को उद्धृत करना था, जो उनके द्वारा उद्धृत मूल्य में शामिल थे। इस खंड को खंड 2.8 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। 6 , जिसमें प्रावधान है कि खरीदार (अपीलकर्ता) गलत वर्गीकरण या कानून की गलत समझ के आधार पर आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किए गए करों और शुल्कों के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसका अर्थ यह होगा कि खरीदार के रूप में अपीलकर्ता यह स्पष्ट कर रहा था कि कर के भुगतान में उसका कोई दायित्व नहीं होगा, यदि यह पाया जाता है कि निविदाकर्ता द्वारा लागू शुल्क या कर की दर का संकेत देते समय, उसने गलत तरीके से एक दर उद्धृत की है जो उस दर से कम है, जो वह कानून में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। द.

दूसरे शब्दों में, निविदाकर्ता द्वारा खंड 2.7 के अर्थ के भीतर दर का उद्धरण। 6 , निविदाकर्ता को बाध्य करेगा और उसे यह कहते हुए नहीं सुना जाएगा कि वह दर पर आया था और बोली लगाई थी और जो कानून की गलत समझ या गलत वर्गीकरण के आधार पर स्वीकार की गई थी। एक ओर, खंड 2.7। 6 यह धारणा देता है कि सभी बोलीदाता/[2022] 17 एस. सी. आर.

निविदाकारों को उनके द्वारा उद्धृत मूल्य में लागू शुल्क और कर की दर को स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए। हालाँकि, हमें इसे खंड 2.9 के साथ पढ़ना चाहिए। 2 . उक्त क्लॉज सभी लागू करों और शुल्कों से खुद को परिचित कराने के लिए निविदाकर्ता के साथ एक स्पष्ट कर्तव्य प्रदान करता है। यह आगे प्रावधान करता है कि ऐसे मामले में, जहां करों और शुल्कों को उनके प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से इंगित नहीं किया गया है, उसी पर विचार किया जाएगा, जिसका अर्थ है, प्रस्ताव को समावेशी माना जाएगा। इस खंड का अर्थ केवल यह हो सकता है कि आम तौर पर निविदा देने वाला ऐसा करेगा और करना चाहिए।

निविदा में न केवल आधार मूल्य बल्कि करों और कर की दर को शामिल करें और उस वैश्विक राशि पर पहुंचे जिस पर वह बोली लगा रहा है, खंड 2.9। 2 लागू करों और शुल्कों के बारे में संकेत नहीं देने वाले निविदाकर्ता की आकस्मिकता का प्रावधान करता है। दूसरे शब्दों में, वह केवल एक राशि उद्धृत करते हैं

करों और शुल्कों या दरों के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किए बिना। यह विद्वान ए. एस. जी. द्वारा यह तर्क देने के लिए इंगित किया गया है कि भ्रांति उच्च न्यायालय द्वारा किया गया कार्य इसमें निहित है, जो उक्त खंड को पूरा अर्थ नहीं देता है।

हम समझेंगे कि वैधानिक भिन्नता का कार्यकरण

खंड इस प्रकार होगाः

सफल निविदाकर्ता को अपने प्रस्ताव में कर/शुल्क की दर स्पष्ट रूप से इंगित करनी चाहिए। कर और शुल्क में भिन्नता होनी चाहिए, जो बोली जमा करने के बाद होती है। इस तरह के वैधानिक परिवर्तन के लिए कोई दावा नहीं किया जा सकता है

सफल निविदाकार द्वारा गलत वर्गीकरण। यदि ये स्थितियाँ हैं तब, खरीदार, वैधानिक परिवर्तन खंड के तहत, सफल निविदाकार को भुगतान करने के लिए दायित्व लेता प्रतीत होगा,

अंतर कर या शुल्क। खंड 2.7 का अवलोकन। 7 , जो कि पहले संशोधन का परिणाम है, यह संकेत देता प्रतीत होता है कि जी. एस. टी. लागू होने के बाद खुलने वाली निविदाओं के लिए, सभी बोलीदाताओं, निविदाकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जी. एस. टी. के अनुरूप हैं और उनके उद्धृत कर हैं।

संरचना/दरें जी. एस. टी. मानदंडों के अनुसार हैं। इस खंड को खंड 2.9 के साथ फिर से पढ़ा जाना चाहिए। 2 , जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई निविदाकर्ता बिना किसी कर को शामिल किए दर का हवाला दे सकता है। घटक।

38. यह स्पष्ट है कि खंडों को एक साथ पढ़ने से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होंगेः

परिणामस्वरूप, जी. एस. टी. व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए। जी. एस. टी. व्यवस्था के तहत कर का भुगतान करने का दायित्व आपूर्तिकर्ता पर है। उसे पूछताछ करनी चाहिए और एक सूचित निर्णय लेना चाहिए कि वस्तुओं पर लागू प्रासंगिक एच. एस. एन. कोड और लागू कर की दर क्या होगी।

इसके बाद, जब भारत संघ और अन्य बनाम। भारत फोर्ज लिमिटेड। & एक और [के. एम. जोसेफ, जे.]

स्पेक्ट्रम के एक चरम छोर से, अर्थात। , यहां तक कि जब हार की संभावना उसे घूरती है, या थोड़ा उज्ज्वल परिणाम, अर्थात। , एक विराम-सम आधार पर काम करने वाला अनुबंध या उससे भी अधिक आशावादी संभावना की ओर बढ़ रहा है, अर्थात्, उसे लाभ अर्जित करने वाले अनुबंध का, जिसे वह मामूली दर या एक दर पर लेने के लिए तैयार है जिसे वह अपनी समझ और परिस्थितियों में उचित मानता है। यह मामला इस पर छोड़ दिया जाना चाहिए बोलीदाता की वाणिज्यिक उपयोगिता। अब, जब मामले को खरीदार के दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो खरीदार सबसे कम बोली लगाने वाले को अनुबंध देकर सामान और सेवाएं या दोनों खरीदना चाहता है। जब खरीदार राज्य होता है, तो यह उम्मीद करना उचित या उचित नहीं होगा कि वह सबसे कम बोली लगाने वाले की बोली को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि वह सबसे कम बोली लगाने वाले की बोली को उन कारणों से स्वीकार नहीं करने का फैसला नहीं करता है जो उचित और कानूनी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कानून नहीं है कि सरकार सबसे कम बोली स्वीकार करने के लिए बाध्य है। प्रासंगिक, वैध और उचित कारणों से सरकार के लिए यह हमेशा खुला रहता है कि वह सबसे कम बोली को भी स्वीकार न करे।

39. बोली की शर्तों को कानूनी अनिश्चितता के दुष्प्रभाव से पीड़ित नहीं कहा जा सकता है। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ सिद्धांत के रूप में

रिलायंस एनर्जी (ऊपर) में उल्लिखित करना उपयुक्त होगा। यह प्राथमिक बात है कि किसी मामले के तथ्यों में प्रतिपादित सिद्धांतों की तुलना यूक्लिड के प्रमेय से नहीं की जाती है, जिसमें विचार के लिए उत्पन्न होने वाले तथ्यों से अलग एक अक्षम्य क्रिया होती है। इस मामले में, तीनों की परस्पर क्रिया

खंड, जिनका हमने उल्लेख किया है, और इसके संयुक्त संचालन से बोली लगाने वालों या खरीदारों (अपीलकर्ताओं) को किसी भी अनिश्चितता में नहीं छोड़ा जा सकता था। 40. अपीलकर्ताओं ने सर्वेश रिफ्रैक्टरीज (पी) लिमिटेड बनाम में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त

सीमा शुल्क '। उक्त मामले में विचाराधीन उत्पाद को निर्माता कारखाने पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले अधिकारी द्वारा एक विशेष शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया गया था। उसमें अपीलार्थियों का मामला यह था कि शीर्षक अलग होना चाहिए। अपीलार्थी माल का उपभोक्ता था। न्यायाधिकरण द्वारा यह पाया गया कि एक उपभोक्ता के रूप में अपीलार्थी विक्रेता पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले अधिकारी से वर्गीकरण को बदल नहीं सकता था। इस न्यायालय ने उक्त दृष्टिकोण को मंजूरी दे दी। इसलिए,

अपीलकर्ताओं का तर्क होगा कि चूंकि कर का भुगतान करने का दायित्व सफल निविदाकार (आपूर्तिकर्ता) पर है और जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 59 और 60 निविदाकारों पर विवरणी दाखिल करने, स्व-मूल्यांकन करने और कर का भुगतान करने का बोझ डालती है, इसलिए यह आपूर्तिकर्ता के लिए प्रासंगिक क्षेत्राधिकार अधिकारी है जो उचित वर्गीकरण कर सकता है। अपीलार्थी खरीदार के जूतों में खड़े होंगे। इसलिए अपीलकर्ताओं से एच. एस. एन. संहिता का पता लगाने और इसकी घोषणा करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है ताकि निविदाकारों को बाध्य किया जा सके या आपूर्तिकर्ता के अधिकार क्षेत्र अधिकारी की शक्ति को बाधित किया जा सके।

41. ज्ञात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कथित रूप से समर्थन प्राप्त किया

अपने दायित्व के निर्वहन के साथ। विचाराधीन खंड ने अपीलार्थी को प्रत्यर्थी को बिल के भुगतान के मामले में स्रोत पर करों या शुल्कों में कटौती करने की भी अनुमति दी। अपीलार्थी ने 5 प्रतिशत की कटौती की सेवा कर। इसके बाद, कानून के अनुसार, जैसा कि यह था, एक पूर्वव्यापी संशोधन किया गया जिसके द्वारा सेवा कर का भुगतान करने का दायित्व सेवा प्राप्तकर्ता को स्थानांतरित कर दिया गया। मध्यस्थ, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए विवाद को हल करने के लिए नियुक्त किया गया था कि वह माल पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था, ने इस तर्क को खारिज कर दिया। इस पुरस्कार को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। पैराग्राफ 37 और 39 में दिए गए अवलोकन प्रासंगिक हैं। यह नीचे लिखा है:

" 37. जहाँ तक कर देयता के स्थानांतरण का संबंध है, जैसा कि लघु उद्योग भारती [(1999) 6 एस. सी. सी. 418] के पैरा 9 में देखा गया है, सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, और यह संभव है कि इसे पारित किया जा सकता है। इसलिए, एक निर्धारिती निश्चित रूप से प्रवेश कर सकता है

सेवा कर की अपनी देनदारी को स्थानांतरित करने का अनुबंध।

“ 39. सेवा कर से संबंधित प्रावधान केवल कानून के तहत एक निर्धारिती के रूप में अपीलार्थी और कर अधिकारियों के बीच प्रासंगिक हैं। यह वैधानिक प्रावधान अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच अधिकारों और देनदारियों को निर्धारित करने के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं हो सकता है जैसा कि दोनों के बीच अनुबंध में सहमति हुई है। कानून में ऐसा कुछ भी नहीं था जो अपीलार्थी को प्रत्यर्थी को संभालने वाले ठेकेदार के साथ एक समझौता करने से रोक सके कि अनुबंध के तहत प्रत्यर्थी के दायित्वों से उत्पन्न होने वाले किसी भी कर का बोझ प्रत्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा।

यह भी पाया गया कि ठीक से पढ़ा गया खंड प्रत्यर्थी के मामले का समर्थन नहीं कर सका।

42. इसमें अपीलकर्ताओं का तर्क है कि भले ही जी. एस. टी. एक अप्रत्यक्ष कर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कर खरीदार को दिया जाना चाहिए। यह उनका आगे का मामला है कि इसके विपरीत एक अनुबंध या तो करों के अवशोषण के माध्यम से या करों की कम दर का हवाला देते हुए

शून्य करों सहित, किसी भी तरह से, आपूर्तिकर्ता के हाथों में वैधानिक शुल्क और जी. एस. टी. के भुगतान में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जबकि कानून खरीदार को कर की घटना को पारित करने से नहीं रोकता है, यह अपीलार्थियों का मामला है कि यह या तो कर वसूलने या आपूर्तिकर्ता द्वारा उसे भेजने के लिए पूर्व शर्त नहीं है।

43. रिट याचिकाकर्ता का तर्क, जिसे उच्च न्यायालय का समर्थन मिला है और रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री अमर दवे द्वारा हमारे सामने दोहराया गया है, यह है कि चूंकि निविदा की शर्तें हैं आधार मूल्य में कर जोड़ने पर विचार करें।

रैंकिंग पर पहुंचने पर, जो बदले में, यह निर्धारित करेगा कि सफल बोलीदाता कौन होगा, कुछ बोलीदाताओं द्वारा कर की दर को कम करने के लिए अनुचित व्यापार अभ्यास किया जाता है। राज्य (अपीलकर्ताओं) के लिए एच. एस. एन. संहिता को इंगित करने की एक प्रमुख आवश्यकता है। एक बार जब यह संकेत दिया जाता है, तो यह बुराई के लिए एक रामबाण बन जाता है, जिसे रिट याचिकाकर्ता द्वारा माना और सफलतापूर्वक दबाया गया है। क्या ऐसा ही है? इस प्रश्न के उत्तर में कानूनी और तथ्यात्मक दोनों आयाम हैं। जहाँ तक कानूनी पहलुओं का संबंध है, हमें जो मौलिक प्रश्न पूछना चाहिए वह यह है कि क्या अपीलकर्ताओं के पास सार्वजनिक निविदा जारी करते समय एच. एस. एन. संहिता को इंगित करने का कोई सार्वजनिक कर्तव्य मौजूद है। यहाँ विद्वान ए. एस. जी. सही है, जब वह इंगित करता है कि हम जिस प्रकार की निविदा से संबंधित हैं, उसमें एच. एस. एन. संहिता को इंगित करने के लिए अपीलकर्ताओं पर कोई वैधानिक कर्तव्य नहीं है। इस आधार पर कार्यवाही करते हुए कि एक सार्वजनिक कर्तव्य उभर सकता है,

केवल एक क़ानून से ही नहीं, बल्कि कई अन्य तरीकों से, जिन पर एंडी मुक्त (ऊपर) में भी, मनसुखलाल (ऊपर) में और यहां तक कि एक विस्तृत अन्वेषण पर भी स्पर्श किया गया है, क्या ऐसा कर्तव्य किसी अन्य वैध स्रोत से प्रवाहित होता है?

रेलवे बोर्ड का आदेश दिनांकित 05.09.2017

44. रिट याचिकाकर्ता, इसमें कोई संदेह नहीं है, दिनांक 05.09.2017 के संचार द्वारा प्रस्तुत करता है। यह निस्संदेह रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। हम.

उसी के लिए विज्ञापन दे सकते हैं:

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" भारत सरकार

रेल मंत्रालय

रेल बोर्ड

नई दिल्ली

नहिः 2008 / आरएस (जी)/777/1

तारीखः

05.09.2017

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलवे/पी. यू.

एन. एफ. (सी), कोर

महानिदेशक/आर. डी. एस. ओ./लखनऊ और

एन. ए. आई. आर/वडोदरा

COFMOW/N. दिल्ली, आरडब्ल्यूपी/बेला उपः जी. एस. टी. व्यवस्था के तहत प्रस्तावों का मूल्यांकन

1. जी. एस. टी. अधिनियम के लागू होने के बाद, विभिन्न अभ्यावेदन

एक ही निविदा में एक ही वस्तु। प्रस्तुतियाँ दी गई हैं जाँच की जाती है और निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं।

खरीदार निविदा में एच. एस. एन. संख्या शामिल कर सकता है।

2 .

दस्तावेज़ हालांकि, यह जिम्मेदारी होगी

बोली लगाने वालों को सही एच. एस. एन. संख्या और संबंधित संख्या उद्धृत करनी होगी

जीएसटी दर।

लेकिन जहां बोली लगाने वाले अलग-अलग जी. एस. टी.-प्रस्तावों में दरों का हवाला देते हैं,

3 .

संक्रमण चरण के दौरान, निम्नलिखित स्थितियाँ हो सकती हैं -

निविदा शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गयाः

प्रस्तावों का मूल्यांकन जी. एस. टी. दर के आधार पर किया जाएगा।

आई.

जैसा कि प्रत्येक बोलीदाता द्वारा उद्धृत किया गया है और उसी का उपयोग किया जाएगा
इंटर से रैंकिंग का निर्धारण। जमा करते समय

प्रस्ताव, यह बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी

सुनिश्चित करें कि वे सही जी. एस. टी. दर और एच. एस. एन. का उल्लेख करते हैं।

संख्या।

एन. आई. ओ. एन. ऑफ इंडिया एंड ओथर्स बनाम भारत फोर्ज लिमिटेड। & एक और [के. एम. जोसेफ, जे.]

खरीदार किसी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

II.

गलत वर्गीकरण, एच. एस. एन. संख्या या गलत जी. एस. टी.

दर यदि बोलीदाता द्वारा उद्धृत की गई हो। जहाँ भी सफल बोलीदाता माल का चालान करता है।

III.

जी. एस. टी. दर या एच. एस. एम. संख्या पर जो इससे अलग है

जो खरीद आदेश में शामिल है; भुगतान किया जाएगा

जी. एस. टी. दर के अनुसार किया जाए जो जी. एस. टी. से कम हो।

खरीद आदेश या बिल में शामिल दर।

विक्रेता को सूचित किया जाता है कि उसे इसकी आवश्यकता होगी

IV.

उसके मूल मूल्य को आवश्यक सीमा तक समायोजित करें

इनवॉयस के अनुसार सभी से मेल खाने के लिए उच्च कर का बिल खरीद आदेश में उल्लिखित समावेशी मूल्य।

वी.

जी. एस. टी. दर या एच. एस. एन. संख्या में कोई संशोधन अनुबंध संविदात्मक शर्तों के अनुसार होगा।

और उद्धृत जी. एस. टी. दर में वैधानिक संशोधन

और एस. वी. सी. के तहत एच. एस. एन. संख्या।

संक्रमण अवधि का निर्धारण इसके द्वारा किया जा सकता है

4 .

क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाई।

पहले से ही अंतिम रूप दिए गए निविदा मामलों को फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है।

5 .

6 .

यह वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

रेलवे बोर्ड से।

एसडी /

(संतोष मित्तल)

डी. निदेशक रेलवे स्टोर (जी),

रेलवे बोर्ड "

45. संचार, इसमें कोई संदेह नहीं है, इंगित करता है कि खरीदार

निविदा दस्तावेज में एच. एस. एन. संख्या को निगमित करें। जबकि इसका उपयोग

किसी कानून में 'मई' को अनिवार्य योग के रूप में व्याख्या करने में सक्षम है कि हम एक परिपत्र के लिए इस तरह के सिद्धांत को लागू कर सकते हैं जो हम संदर्भ को ध्यान में रखते हुए रखते हैं, इसके बाद होने वाले परिणाम, कर और सार्वजनिक हित, एक अनिवार्य कर्तव्य को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। उस पर

ई हाथ, रिट याचिकाकर्ता उसी से समर्थन प्राप्त करेगा

और यह कि उच्च न्यायालय ने जो कुछ भी किया है वह अपीलार्थियों को निर्देश देना है

रेलवे बोर्ड द्वारा स्वयं जारी किया गया संचार। उस परउनका हाथ, विद्वान ए. एस. जी. 'मे' शब्द पर जोर देता था।

यह अगले वाक्य की ओर भी ध्यान आकर्षित करेगा और इस बात पर जोर देगा कि सही एच. एस. एन. संख्या और संबंधित जी. एस. टी. दर को उद्धृत करना बोलीदाता की जिम्मेदारी है।

46. हमारा विचार है कि जब समग्र तरीके से पढ़ा जाता है, तो

रेलवे बोर्ड का उद्देश्य यह है कि सही एच. एस. एन. संख्या और संबंधित जी. एस. टी. दर को उद्धृत करना बोलीदाता की जिम्मेदारी है। हम पहले ही प्रासंगिक खंडों के वास्तविक दायरे और इसके वास्तविक निर्माण के बाद आने वाले परिणामों की विस्तृत श्रृंखला को उजागर कर चुके हैं। यह सच हो सकता है कि परिपत्र खरीदार को एच. एस. एन. संख्या इंगित करने की अनुमति देता है। खरीदार इसे इंगित कर सकता है। यह इस धारणा से बहुत दूर है कि संचार एक सार्वजनिक कर्तव्य को स्थापित करता है जिसे किसी भी तरह से लागू किया जा सकता है।

मैंडमस का। हालांकि यह सच है कि किसी मामले में, जब किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को किसी क़ानून के तहत विवेकाधीन शक्ति निहित होती है, तो उसे विवेकाधिकार का प्रयोग करने का निर्देश दिया जा सकता है, यहां तक कि किसी वैधानिक पदाधिकारी को भी विवेकाधिकार का प्रयोग करने का निर्देश देना कानूनी नहीं हो सकता है। एक विवेकाधीन शक्ति के विचार को ही विनाश का सामना करना पड़ेगा, अगर यह एक मैंडमस का आदेश देने वाले न्यायालय के हाथों में विवेकाधीन होना बंद हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां तथ्य ऐसे हों कि अदालत प्राधिकरण को ऐसा काम करने का निर्देश देने में असमर्थ न हो जिसे वह बिल्कुल आवश्यक समझती हो। और अधिनियम को निष्पादित करने के लिए न्यायसंगत और वैध, तब भी जब प्राधिकरण इस आधार पर आश्रय चाहता है कि उसे जो प्रदान किया गया है, वह केवल एक विवेकाधिकार है। परिपत्र की अन्य शर्तें स्पष्ट रूप से इंगित करती प्रतीत होती हैं कि दर, भले ही अपीलकर्ताओं द्वारा इंगित की गई हो, निविदाकारों से उस दर को उद्धृत करने से अलग नहीं होगी जो उन पर निर्भर है। यह निविदाकारों द्वारा उद्धृत दर है जो इसे नियंत्रित करती है। यह वही है जिसका उपयोग रैंकिंग करने के लिए किया जाएगा। अन्य शब्द भी अपीलार्थियों के साथ एक सार्वजनिक कर्तव्य के खिलाफ हैं जैसा कि निर्देश दिया गया है। अपीलार्थी वाणिज्यिक क्षेत्र में एक खिलाड़ी के रूप में अपने सर्वोत्तम हित की रक्षा करना चाहता है। खंड स्वयं स्पष्ट हैं।

47. इस संबंध में, हमें इसके परिणामों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

05.09.2017 दिनांकित पत्र में शब्द को पढ़ना एक अनिवार्य कर्तव्य के रूप में हो सकता है। यह हमें इस सवाल का सामना करने के लिए सामने लाएगा कि खरीदार इस तरह के निर्देश को लागू करने के बारे में कैसे जाएगा। केंद्रीय अधिनियम की धारा 96 से 103 के साथ-साथ राज्य जी. एस. टी. अधिनियम की धाराओं में भी अग्रिम निर्णय लेने का तंत्र प्रदान किया गया है। यदि खरीदार को एच. एस. एन. संहिता को शामिल करना है, तो उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिया गया है, उसे प्रभावी बनाने के लिए एक तंत्र होना चाहिए। , " उत्पाद के सही एच. एस. एन. कोड की प्रयोज्यता और उसके बाद एन. आई. टी. में उल्लेख से संबंधित मुद्दे को जी. एस. टी. प्राधिकरणों के साथ स्पष्ट करना।

इसे भारत और अन्य देशों का संघ v के रूप में वर्णित करना। भारत फोर्ज लिमिटेड। & एक और [के. एम. जोसेफ, जे.]

अव्यावहारिक और जी. एस. टी. अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखे बिना दिया गया निर्देश सही नहीं हो सकता है। परामर्शीकरण से संबंधित प्रावधानों के तहत, हालांकि यह सच है कि जो प्रश्न अग्रिम निर्णय का विषय बन सकता है, उसमें वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न शामिल हैं, इस मामले में एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान की गई है। मामला मूल प्राधिकरण के निर्णय पर आधारित नहीं है। अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है। मामला उच्चतम न्यायालय तक जा सकता है। प्रावधानों में खोज, साक्ष्य प्रस्तुत करने आदि के मामले में दीवानी अदालत की शक्तियों पर विचार किया गया है। दूसरे शब्दों में, यह एक लंबी और विस्तृत प्रक्रिया है और उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, जी. एस. टी. प्राधिकरणों के साथ 'स्पष्टीकरण' का निर्देश, अग्रिम निर्णय से संबंधित अध्याय में विस्तृत बोझिल और विस्तृत प्रक्रिया के साथ मुश्किल से मेल खा सकता है। हम देखते हैं कि अग्रिम निर्णय आम तौर पर आवेदक के लिए बाध्यकारी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 103 (1 ए) में वर्णित परिस्थितियों में इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। हम यह समझने से चूक रहे हैं कि कैसे एक समान अवसर पैदा करने के नाम पर, राज्य, जब अनुबंध देने का निर्णय लेता है, तो सही एच. एस. एन. संहिता और कर का पता लगाने की अग्निपरीक्षा करने के लिए बाध्य होगा।

यह उस उत्पाद के लिए लागू होता है, जिसे वे खरीदना चाहते हैं। यह विशेष रूप से तब होता है जब राज्य पर कर का भुगतान करने का बोझ नहीं होता है। द. हमारे समक्ष मामले में कर का भुगतान करने का दायित्व पूरी तरह से आपूर्तिकर्ता पर है। पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं और जी. एस. टी. व्यवस्था के तहत प्राधिकरणों को ऐसा करना चाहिए

राजस्व के हितों को सर्वोत्तम रूप से सुरक्षित करना। 48. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री अमर दवे तर्क देंगे कि केंद्रीय अधिनियम की धारा 168 को इस प्रकार समझा जा सकता है

वैधानिक शक्ति का स्रोत, जिसका उपयोग करके, अपीलार्थी आक्षेपित निर्देश का पालन कर सकते हैं। यह बताया गया है कि शक्ति बोर्ड के पास निहित है। अपीलकर्ताओं ने एक वैश्विक निविदा जारी की है। इसका मतलब है कि बोली लगाने वाले किसी भी स्थान पर स्थित हो सकते हैं। अधिकारी, जो बोली लगाने वालों के न्यायिक अधिकारी होंगे, अपीलार्थी को शायद पता भी न हो।

रिट याचिकाकर्ता के मामले को स्वीकार करना मुश्किल है कि अपीलकर्ताओं को विवादित निर्णय में विचार किए गए 'स्पष्टीकरण' की मांग करनी चाहिए केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम की धारा 168 का सहारा लेना। धारा 168 स्पष्ट रूप से किसी भी व्यक्ति को निर्देश प्राप्त करने का अधिकार प्रदान नहीं करती है जैसा कि उसमें विचार किया गया है। इसके अलावा, हम देख सकते हैं कि अग्रिम निर्णय से संबंधित प्रावधानों में एक स्पष्ट शक्ति प्रदान की गई है। एक विस्तृत प्रक्रिया का पालन किया जाना है और यहां तक कि अपील का अधिकार भी है।

धारा 168 के तहत शक्ति अनिवार्य रूप से अधिकारियों के लिए अधिनियम के कार्यान्वयन में एकरूपता बनाए रखने के हित में बोर्ड के अलावा अपने स्वयं के पारित आदेशों पर आदेश, निर्देश या निर्देश लेने के लिए है।

49. हम अपीलार्थी के मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि परिपत्र आपूर्तिकर्ता को बाध्य नहीं कर सकता है और परिपत्र को एक में चुनौती दी जा सकती है उचित कार्यवाही। अपीलार्थियों का तर्क है कि यह एक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है

अंतिम दृष्टिकोण, और न्यायालय को बाध्य नहीं करता है और एक परिपत्र जो क़ानून के तहत है, उसका कानून में कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। इस संबंध में हमारा ध्यान (2008) 13 एस. सी. सी. 1 में इस न्यायालय के निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि परिपत्र अपीलार्थियों को बाध्य नहीं कर सकता है जो केवल उत्पाद के खरीदार हैं। केंद्रीय अधिनियम के तहत बोर्ड या राज्य अधिनियम के तहत आयुक्त पर कोई स्पष्टीकरण जारी करने का कोई कर्तव्य नहीं है, जैसा कि विवादित निर्णय में निर्देश दिया गया है। इस तरह के निर्देश की मांग करने के लिए अपीलकर्ताओं पर कोई कर्तव्य नहीं है। इसलिए, अपीलार्थियों का यह तर्क देना सही है कि कोई वैधानिक कर्तव्य नहीं है, जिसे विवादित निर्णय में किए गए तरीके से लागू किया जा सकता था। ऐसा कोई सार्वजनिक कर्तव्य नहीं है जिसे लागू किया जा सके।

कस्टम्स इनवॉइस दिनांक 21.03.2017

50. जहाँ तक दिनांकित सीमा शुल्क चालान पर रखी गई निर्भरता का संबंध है, अपीलार्थियों की ओर से यह इंगित किया गया है कि आयातक ने अपनी समझ के आधार पर दर (18 प्रतिशत) दर्ज की है। इस आधार पर कार्यवाही करते हुए कि यह रेलवे की एक इकाई थी, यह अपने आप में अपीलार्थियों को विवादित निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। खंडों की प्रकृति और कर का भुगतान करने का दायित्व अपीलार्थियों के बाध्य होने से अलग है, विशेष रूप से किसी भी सार्वजनिक कर्तव्य के अभाव में। हम याचिकाकर्ताओं से सहमत हैं।

दूसरे जवाब का मामला (एल 1)

51. दूसरे प्रतिवादी (एल 1) ने इस न्यायालय में एक संक्षिप्त जवाबी हलफनामा दायर किया है। इसमें धारा 59 और 60 पर निर्भरता रखी जा रही है।

सी जी एस टी। जबकि, धारा 59 एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा स्व-मूल्यांकन का प्रावधान करती है, धारा 60, एक व्यापारी द्वारा उचित अधिकारी से लिखित रूप में अनुरोध करने पर विचार करती है, जिसमें अस्थायी आधार पर कर के भुगतान के लिए कारण दिए जाते हैं, जिससे कर का भुगतान करने की अनुमति दी जाती है। एल 1 के अनुसार, अधिकारी कर की दर निर्धारित कर सकता है। इस प्रकार, कोई भी बोलीदाता जो वस्तुओं या सेवाओं का आपूर्तिकर्ता होगा, उसे बोली में कर की सही दर दर्ज करने के लिए एक तंत्र प्रदान किया जाता है। L1 में एक मामला है कि विचाराधीन उत्पाद पूरी तरह से भारत और अन्य संघ v के अंतर्गत आता है।

भारत फोर्ज लिमिटेड। & एक और [के. एम. जोसेफ, जे.]

जी. एस. टी. शुल्क का अध्याय 86 और इसलिए, एल 1 द्वारा उद्धृत दर सही थी। यह भी तर्क दिया जाता है कि रिट याचिका देरी से दायर की गई थी। दूसरा प्रत्यर्थी अपीलार्थी और रिट याचिकाकर्ता के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाता है और तर्क देता है कि मामला केवल एल 1 के अधिकार को हराने के लिए है। दूसरा प्रतिवादी (एल 1) तर्क देगा कि अपील को अनुमति दी जानी चाहिए। 52. इस मामले में, टर्बो व्हील इम्पेलर बैलेंस असेंबली के 593 टुकड़ों के लिए दूसरा प्रतिवादी एल 1 पाया गया है। हम देख रहे हैं

अपीलार्थियों द्वारा उच्च न्यायालय में दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया गया था कि निविदा उत्पाद टर्बो व्हील इम्पेलर असेंबली है न कि टर्बो सुपर चार्जर। रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में, हमने एसएलपी पेपर बुक के पृष्ठ-764 पर देखा कि रिट याचिकाकर्ता इस मुद्दे में शामिल हो गया है और तर्क दिया है कि जवाबी हलफनामे में अपीलकर्ताओं का रुख इस बात की सराहना किए बिना था कि उत्पाद टर्बो चार्जर का सबसे अभिन्न अंग है, जिसके बिना, टर्बो चार्जर को व्यावसायिक रूप से निरर्थक बना दिया जाता है। अंतिम वस्तु एक टर्बो चार्जर है, जिसमें इम्पेलर व्हील असेंबली है और यह एक संबद्ध उत्पाद नहीं है, बल्कि स्वयं टर्बो चार्जर का एक घटक है। हम आगे रिट याचिकाकर्ता के विशिष्ट रुख पर ध्यान देते हैं कि इस तथ्य के आलोक में कि इन दोनों उत्पादों की कार्यक्षमता और वाणिज्यिक उद्देश्य समान हैं, उन्हें वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

एक ही शीर्ष के तहत और 18 प्रतिशत पर कर लगाया गया। एक चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र तैयार किया गया था। आरेख भी ऐसा ही था। वास्तव में, उत्पाद के बारे में विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह समस्या की जटिल प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करता है, जो प्रतीत होता है कि विवादित निर्देश जारी करने के मामले में अति सरलीकरण। हम पहले ही देख चुके हैं कि दूसरे प्रतिवादी (एल 1) ने इस विवाद को पेश किया, यहां तक कि इस न्यायालय में भी।

मेक इन इंडिया; आदेश दिनांक 15.06.2017

53. जहां तक 'मेक इन इंडिया' नीति का संबंध है, उस पर भरोसा किया गया है

भारत में वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण, जिससे बेरोजगारी की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके और लोगों की आय में वृद्धि हो सके। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता एक अनुमोदित स्थानीय है आदेश के अर्थ के भीतर आपूर्तिकर्ता। यह भी उतना ही सच है कि आदेश में परिभाषित स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए वरीयता पर विचार किया गया है।

एल 1 और स्थानीय आपूर्तिकर्ता के बीच अंतर का अंतर [2022] 17 एस. सी. आर. से अधिक नहीं हो सकता है।

20 प्रतिशत। यह भी विवाद में नहीं है कि उद्धृत कुल मूल्य के आधार पर, खरीद वरीयता का मार्जिन 20 प्रतिशत से बहुत अधिक है। रिट याचिकाकर्ता का तर्क है कि सरकारी आदेश के तहत रिट याचिकाकर्ता के अधिकार 5 प्रतिशत पर कर की दर का हवाला देते हुए एल 1 से एल 3 के कारण निराश हैं। 'स्थानीय सामग्री' शब्द की परिभाषा पर जोर दिया गया। 'स्थानीय सामग्री' शब्दों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" 'स्थानीय सामग्री' का अर्थ है भारत में जोड़े गए मूल्य की राशि जो

जब तक नोडल मंत्रालय द्वारा अन्यथा निर्धारित नहीं किया जाता है, तब तक खरीदी गई वस्तु का कुल मूल्य (शुद्ध घरेलू अप्रत्यक्ष को छोड़कर)

कर) घटाकर वस्तु में आयातित सामग्री का मूल्य (जिसमें शामिल हैं)

सभी सीमा शुल्क) कुल मूल्य के अनुपात के रूप में,

प्रतिशत में "।

54. रिट याचिकाकर्ता का तर्क है कि जब तक अपीलार्थी

सही एच. एस. एन. कोड और उत्पाद के लिए लागू कर दर का पता लगाने पर, आदेश में परिभाषित स्थानीय सामग्री का निर्धारण नहीं किया जा सका। विद्वान ए. एस. जी. ने इसका विरोध करते हुए कहा कि 'स्थानीय सामग्री' शब्द की परिभाषा में 'घरेलू अप्रत्यक्ष कर' शामिल नहीं हैं। इस संबंध में, हम 'L1' की परिभाषा को भी देख सकते हैं। एलएल 'को अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम निविदा या न्यूनतम उद्धरण के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसा कि निविदा या अन्य के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में निर्णय लिया गया है।

खरीद अनुरोध। इस प्रकार, L1, निस्संदेह, निविदा की शर्तों के आधार पर निर्धारित किया जाना है।

55. 'स्थानीय सामग्री' शब्द की परिभाषा में, यह सच हो सकता है

कि, जब वस्तु में आयातित सामग्री के मूल्य की गणना की जाती है, तो सभी सीमा शुल्क शामिल किए जाने चाहिए। रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि जब सीमा शुल्क की गणना के उद्देश्य से एच. एस. एन. संहिता का स्थानीय सामग्री निर्धारित करने के लिए पता लगाया जाना है, तो वस्तु के लिए जी. एस. टी. के उद्देश्य के लिए एच. एस. एन. संहिता को शामिल नहीं करने का कोई कारण नहीं हो सकता है। हम सहमत नहीं हो सकते। इस आधार पर आगे बढ़ते हुए, कि स्थानीय सामग्री का निर्धारण करते हुए, सीमा शुल्क के उद्देश्य से वस्तु का एच. एस. एन. कोड पाया जाना चाहिए, जो रिट याचिकाकर्ता को यह तर्क देने के लिए उचित नहीं ठहरा सकता है कि जी. एस. टी. के लिए एच. एस. एन. कोड को निविदा शर्तों में शामिल किया जाना चाहिए। यही कारण है कि अनिवार्य रूप से एच. एस. एन. संहिता को इंगित करने के लिए अपीलकर्ताओं के साथ किसी भी कर्तव्य के अभाव के अलावा, हमें निविदा की शर्तों के संचालन को नजरअंदाज करना होगा। खंड 2.9 के तहत। 2 , हमने देखा है कि एक निविदाकर्ता बिना किसी कर घटक को जोड़े

अपनी बोली लगा सकता है। यह बोलीदाता के लिए, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, कर प्रभाव को अवशोषित करने के लिए खुला है। दूसरे शब्दों में, एक अप्रत्यक्ष कर होने के नाते, जबकि यह भारत और अन्य का संघ v है।

जीएसटी अधिनियम की धारा 9 (3) के तहत। इसके अलावा, अपीलकर्ता जी. एस. टी. दर घोषित नहीं कर सकते हैं और बोली लगाने वाले पर इसे बाध्यकारी नहीं बना सकते हैं। संहिता/दर की शुद्धता, सबसे अच्छा, अपीलार्थी की उसी की समझ हो सकती है। यही कारण है कि रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 05.09.2017 परिपत्र में, उसने खरीदार को निविदा दस्तावेज़ में एच. एस. एन. संख्या को शामिल करने का विवेकाधिकार प्रदान किया। यह सावधानीपूर्वक इस चेतावनी द्वारा निर्धारित किया गया है कि सही एच. एस. एन. संख्या और संबंधित जी. एस. टी. दर को उद्धृत करने की जिम्मेदारी बोलीदाता पर होनी चाहिए। इसके अलावा, रेलवे बोर्ड ने विचार किया है कि संक्रमण चरण के दौरान, यह प्रावधान किया जाना था कि प्रत्येक बोलीदाता द्वारा उद्धृत जी. एस. टी. दरों के आधार पर प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा और इसका उपयोग अंतर-श्रेणी निर्धारण के लिए किया जाएगा। जब कोई सफल बोलीदाता खरीद आदेश में शामिल माल से अलग जीएसटी दर या एचएसएन संख्या के साथ माल का चालान करता है, तो भुगतान करें। इसे उस दर पर बनाया जाना है, जो जी. एस. टी. दर से कम है, जैसा कि खरीद आदेश या चालान में शामिल किया गया है। आई. डी. 1 दिनांकित परिपत्र में आगे यह स्पष्ट किया गया है कि यदि उच्च कर दर का बिल दिया जाता है और खरीद आदेश में एक सर्व-समावेशी मूल्य का उल्लेख किया जाता है, तो इसे लागू करने के लिए मूल मूल्य को तदनुसार समायोजित करना होगा।

सभी-समावेशी मूल्य के अनुरूपता।

कर दर को शामिल किए बिना एकमुश्त दर को उद्धृत करना। आगे और अधिक महत्वपूर्ण बाधा तंत्र या बल्कि की अनुपस्थिति है जिसके द्वारा माल और सेवाओं के खरीदार (अपीलार्थी) को सही एच. एस. एन. कोड का पता लगाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। उच्च न्यायालय का निर्देश कर अधिकारियों के साथ स्पष्टीकरण करना है। हमने देखा है कि स्पष्टीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। एकमात्र प्रावधान जो स्पष्ट रूप से वर्गीकरण से संबंधित है, वह है अग्रिम निर्णय का प्रावधान। हमने अग्रिम निर्णय से संबंधित अध्याय में प्रक्रिया की प्रकृति पर ध्यान दिया है। हमें यह मान लेना होगा कि अपीलार्थी उक्त बोझिल प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर होंगे और इसके अंत में, [2022] 17 एस. सी. आर. की घोषणा करेंगे।

एचएसएन कोड। अपीलकर्ता कई वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करते हैं। प्रत्येक बार जब अपीलकर्ता वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की खरीद करते हैं, यदि विवादित आदेश को बनाए रखना है, तो अपीलकर्ताओं को ऐसे मामले में लंबी कार्यवाही का सहारा लेना होगा जहां अपीलकर्ता का कर का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं था। यह सब सही स्तर के खेल के मैदान के लिए रिट याचिकाकर्ता की खोज पर आधारित है। इसके अलावा, हमने यह भी देखा है कि कैसे अपीलार्थी के हित, जिनका वह एक अभिनेता के रूप में पालन करता है

वाणिज्यिक दुनिया, लेकिन निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए बाध्य राज्य का कवच धारण करने से न्यायालय को न्यायिक समीक्षा में किसी भी क़ानून, बोली दस्तावेज की शर्तों और किसी अन्य बाध्यकारी साधन द्वारा समर्थित कर्तव्य के लिए आदेश देने का अधिकार नहीं होगा। हम पहले ही पा चुके हैं कि बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर दिनांक 05.09.2017, एच. एस. एन. कोड को निर्दिष्ट करने के लिए अनिवार्य कर्तव्य प्रदान नहीं करता है।

अन्य इकाइयों द्वारा बनाए गए अन्य मानक एच. एस. एन. कोड को जारी रखने वाली रेलगाड़ियों की

58. इस संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जहां तक काउंटर में प्रस्तुत रिट याचिकाकर्ता द्वारा निविदाओं पर भरोसा किया गया है एफिडेविट के रूप में सामने लाया गया है जिसमें एच. एस. एन. कोड इंगित किया गया है, वे भारतीय रेलवे की अन्य इकाइयों द्वारा जारी निविदाएं हैं। चूँकि पहला अपीलार्थी भारत संघ है, हम उम्मीद करेंगे कि यदि अन्यथा विवादित निर्णय को बनाए रखने की अनुमति है, तो इसके तहत विभिन्न इकाइयों द्वारा अनुदान देने के मामले में एक समान नीति नहीं होना उचित नहीं हो सकता है। हालाँकि, अपीलकर्ता यह इंगित करते हैं कि जो निविदाएँ निकाली गई हैं, उनमें भी निविदा में उल्लिखित एच. एस. एन. कोड केवल सांकेतिक के रूप में दिखाया गया है। रिट याचिकाकर्ता द्वारा जिन निविदाओं पर भरोसा किया गया है, उनमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय सही एच. एस. एन. कोड और संबंधित जी. एस. टी. दर को उद्धृत करना बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी। हम प्रासंगिक खंड को देख सकते हैं:

" ए. 1। निविदा 8504 में उल्लिखित एच. एस. एन. संख्या केवल सांकेतिक है। यह बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय सही एच. एस. एन. संख्या और संबंधित जी. एस. टी. दर का उल्लेख करें। 2. भले ही बोलीदाता प्रस्तावों में अलग-अलग जी. एस. टी. दरों का हवाला देते हैं, प्रस्तावों का मूल्यांकन आई. आर. ई. पी. 3 प्रणाली द्वारा प्रत्येक बोलीदाता द्वारा उद्धृत जी. एस. टी. दर के आधार पर किया जाएगा और इसका उपयोग प्रतिच्छेदन श्रेणी निर्धारण के लिए किया जाएगा। बोलीदाता यह नोट कर सकते हैं कि I. यह सुनिश्चित करना बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी कि वे सही जी. एस. टी. कोड और एच. एस. एन. नंबर उद्धृत करें। II. खरीदार किसी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

एच. एस. एन. संख्या का गलत वर्गीकरण या गलत जी. एस. टी. दर यदि भारत और अन्य संघ v.

भारत फोर्ज लिमिटेड। & एक और [के. एम. जोसेफ, जे.]

बोली लगाने वाले द्वारा। III. जहाँ भी सफल बोलीदाता एच. एस. एन. संख्या की माल जी. एस. टी. दर का चालान करता है जो उससे अलग है।

खरीद आदेश में शामिल, भुगतान जीएसटी दर के अनुसार किया जाएगा जो इसमें शामिल जीएसटी दर से कम है।

खरीद आदेश या बिल। IV. अनुबंध में जी. एस. टी. दर या एच. एस. एन. संख्या में कोई भी संशोधन एस. वी. सी. के तहत उद्धृत जी. एस. टी. दर और एच. एस. एन. संख्या में संविदात्मक शर्तों और वैधानिक संशोधनों के अनुसार होगा। ख. क्या आप सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम. एस. ई.) को दिए गए लाभों और तरजीही उपचार का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। यदि ऐसा है, तो लाभ का दावा करने के लिए एम. एस. ई. के लिए विशेष शर्तों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज और एम. एस. ई. के लिए तरजीही उपचार संलग्न किए जाएंगे। ग. यदि सफल निविदाकर्ता सी. जी. एस. टी./आई. जी. एस. टी./यू. टी. जी. एस. टी./एस. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो रेलवे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आर. सी. एम.) के तहत उसके/उसके बिलों से लागू जी. एस. टी. की कटौती करेगा और उसे संबंधित कर प्राधिकरण को जमा करेगा। घ. स्वीकृत स्रोतों सहित सभी निविदाकारों के लिए विषय वस्तु के लिए पिछले तीन वर्षों से प्राप्त आदेशों और की गई आपूर्ति का प्रदर्शन विवरण आवश्यक है।

59. शर्तों को ध्यान में रखते हुए, हम सही एच. एस. एन. कोड प्रदान करने के लिए एक सार्वजनिक कर्तव्य नहीं ले सकते हैं। इसलिए, हम समर्थन नहीं कर सकते हैं

जैसा कि प्रतिवाद किया गया है, निविदाओं के जारी होने के आधार पर विवादित निर्णय।

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म

60. हमने देखा है कि अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है कि जीएसटी, एक अप्रत्यक्ष कर, का भुगतान करने का दायित्व वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के पास है। अपीलार्थियों द्वारा स्वीकार किया गया अपवाद जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 9 (3) के तहत आने वाले मामलों में है जो रिवर्स चार्ज तंत्र प्रदान करता है। रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत, कर का भुगतान करने का दायित्व माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता पर होता है। यह होगा

वास्तव में इसका अर्थ यह है कि यदि अपीलकर्ता उन व्यक्तियों के स्थान पर हैं जो धारा 9 (3) के तहत वस्तुओं और सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता के रूप में उत्तरदायी हो जाते हैं, तो ऐसे कर का भुगतान करना अपीलकर्ताओं का दायित्व होगा। सख्ती से

इस सवाल को बोलने से तथ्यों का पता नहीं चलता है। किसी भी तरह से, हम यह नहीं देखते हैं कि रिट याचिकाकर्ता इस पहलू के आधार पर अपने मामले को कैसे आगे बढ़ा सकता है क्योंकि यह अनिवार्य रूप से अपीलार्थियों की नज़र है। हमें इस तथ्य से बेखबर नहीं रहना चाहिए कि अपीलार्थी की शिकायत निविदाकारों के बीच समान अवसर का इनकार है। यह स्पष्ट है कि माल और सेवाओं के खरीदारों के रूप में अपीलकर्ता उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए बाध्य हैं जो अन्यथा निविदा [2022] 17 एस. सी. आर. के अनुरूप हैं।

सबसे सस्ती दर पर स्थितियाँ। एक ऐसे मामले में जहां वह प्रतिभूति शुल्क तंत्र के तहत उत्तरदायी है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सबसे सस्ती दर पर माल खरीदेगा, लोक हित में अपीलकर्ता की ओर से देखा जाएगा। यह प्राथमिक बात है कि सबसे कम बोली लगाने वाले को भी अपनी बोली स्वीकार कराने का अधिकार नहीं होगा और वह जनहित में और निविदा की शर्त के अनुसार अपीलकर्ताओं के लिए अस्वीकार करने के लिए हमेशा खुला रहता है।

यहां तक कि सबसे कम बोली भी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि ऐसे मामले में कर की दर पर अलग से जोर दिया जाता है, तो अपीलार्थियों को स्वीकार्य दर पर, सकल

बहिर्वाह की गणना सफल निविदाकार को भुगतान की जाने वाली राशि और राजस्व में प्रेषित की जाने वाली राशि से की जा सकती है। इस संबंध में, हम रिट याचिकाकर्ता द्वारा निर्भर निविदा शर्त से ध्यान देते हैं, जिसे हमने पैराग्राफ 58 में निकाला है, जो विचार किया गया है वह यह है कि राशि को रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत बिल से लागू जीएसटी दर पर काटा जाएगा और संबंधित कर प्राधिकरण के पास जमा किया जाएगा। यदि निविदा की शर्तों के तहत, जो विचार किया जाता है वह यह है कि, ऐसे मामले में जहां कर घटक शामिल नहीं है या इसे कम दर पर शामिल किया गया है, अपीलकर्ता रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत उसके द्वारा देय कर की वास्तविक दर में कटौती करने के हकदार हैं और ऐसे व्यक्ति की निविदा को सबसे कम प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो सार्वजनिक हित के पूर्वाग्रह का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। यदि दूसरी ओर, कर दर को शामिल किया जाता है और खंड बिल से वास्तविक दर की कटौती का प्रावधान करता है, तो सार्वजनिक हित भी नहीं हो सकता है

प्रभावित हुए। यह निविदाकार के लिए विशेष रूप से कर की सही दर का संकेत देने वाले कर घटक को शामिल करने का और भी अधिक कारण है। यह एक बात है।

जहाँ प्रथम अपीलार्थी उचित निर्देश देने पर विचार कर सकता है। 61. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि हम पाते हैं कि अपीलकर्ताओं ने मामले में हमारे हस्तक्षेप के लिए एक स्पष्ट मामला बनाया है।

विवादित निर्णय। लेकिन एक पहलू अभी भी बना हुआ है। यह अपीलार्थियों का मामला है कि वस्तुओं और सेवाओं का आपूर्तिकर्ता, यानी सफल निविदाकर्ता, वास्तव में, विवरणी दाखिल करके और स्व-मूल्यांकन करके जी. एस. टी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि इस मामले में आपूर्तिकर्ता के साथ काम करने वाले अधिकारी का अधिकार क्षेत्र होगा। उक्त परिस्थितियों में, यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि सफल निविदाकर्ता देय कर का भुगतान करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जी. एस. टी. दर को सही ढंग से उद्धृत नहीं करके, कोई कर चोरी न हो, हम सोचेंगे कि यह आवश्यक है -

निर्देश दें कि सभी मामलों में, जहां अपीलकर्ताओं द्वारा अनुबंध दिया जाता है, उस दस्तावेज की एक प्रति, जिसके द्वारा अनुबंध दिया जाता है, जिसमें सभी सामग्री विवरण होते हैं, तुरंत संबंधित को अग्रेषित किया जाएगा।

क्षेत्राधिकार अधिकारी। तदनुसार आदेश दिया जाता है। इस लक्ष्य की ओर, 1057

थर्स वी। भारत फोर्ज लिमिटेड। &

ई. आर. [के. एम. जोसेफ, जे.]

निविदाकर्ता अपनी बोलियों में ए को इंगित करेंगे।

ताकि अपीलार्थी प्रभावी ढंग से कर सकें

भारतीय संघ और रेलवे बोर्ड

सभी इकाइयों द्वारा इसका पालन किया जाएगा।

वेद, विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है और हम

चींटियाँ दिए गए निर्देशों का पालन करेंगी

बी.

एंट। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

अपील की अनुमति दी गई।

सीआरए)